सी पी आइ (एम) का
चुनाव घोषणापत्र
17वीं लोकसभा, 2019

भाग-1

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार के शासन के पांच बरस, देश और जनता के लिए पूरी तरह से सत्यानाशी साबित हुए हैं।

इस बार का चुनाव, स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। आज हमारे संविधान में समाविष्ट, धर्मनिरपेक्ष, जनतांत्रिक गणतंत्र का ही भविष्य दांव पर लगा हुआ है। यह भविष्य इसलिए दांव पर लग गया है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, भाजपा-नीत एनडीए सरकार, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को अभूतपूर्व तरीके से धारदार बनाने के लिए काम कर रही है। यह हमारे समृद्ध, विविधतापूर्ण सामाजिक ताने-बाने के सौहार्द्र को छिन्न-भिन्न किए दे रहा है। इन पांच सालों के दौरान इस सरकार ने तमाम संवैधानिक सत्ताओं तथा प्राधिकारों के खिलाफ, नंगा और मुसलसल हमला किया है। भाजपा अगर केंद्र सरकार की मुखिया बनी रहती है तो यह हमारे संविधान के आधार स्तंभों को और भी कमजोर कर देगा।

इसलिए, इस चुनाव में भारतीय मतदाताओं के सामने सबसे पहला यह सुनिश्चित करना है कि यह सरकार हारे और एक वैकल्पिक धर्मनिरपेक्ष सरकार की स्थापना के पक्ष में जनादेश आए, जो हमारे संवैधानिक गणराज्य की हिफाजत करे और उसके बाद उसे पुख्ता करने के रास्ते पर आगे बढ़े। बहरहाल, यह प्रयत्न तभी सफल हो सकता है, जब मौजूदा नीतिगत दिशा को मूलगामी तरीके से जनता के पक्ष में बदला जाएगा। इसके लिए, 17वीं लोकसभा में सी पी आइ (एम) और वामपंथ की और प्रबल उपस्थिति होना जरूरी है।

जनतंत्र पर हमले

इन पांच सालों में सभी संवैधानिक संस्थाओं तथा प्राधिकारों पर और जनता के

संविधान में गारंटीशुदा अधिकारों पर, भीषण तानाशाहाना हमला हुआ है।

कुछ उदाहरण:

संसद के काम-काज में गंभीर तरीके से कतर-ब्योंत की गयी है। सरकार की जवाबदेही संसद के प्रति है और सांसदों की जवाबदेही जनता के प्रति है। जनता द्वारा यानी जैसाकि हमारे संविधान का पहला वाक्य कहता है, हम भारत के लोगों द्वारा इसी तरह से अपनी संप्रभुता का व्यवहार किया जाता है।

मोदी सरकार ने उपरले सदन, राज्यसभा के स्वतंत्र काम-काज को कमजोर किया है। राज्यसभा को बाइपास करने के लिए ''मनी बिल'' के रास्ते का अंधाधुंध सहारा लिया गया है। संसदीय कमेटियों के काम-काज को, जो वास्तव में विधायी निगरानी का काम करती हैं, पूरी तरह से खोखला कर दिया गया है।

न्यायपालिका के मामलों में नंगी दखलंदाजी, जनता को न्याय से वंचित कर रही है और जिन न्यायाधीशों के कंधों पर जनता को न्याय देने की तथा संविधान की हिफाजत करने की जिम्मेदारी है, उनके बीच ही असंतोष पैदा कर रही है।

जांच एजेंसी **सीबीआइ** की सर्वोच्चता को कमजोर किया गया है और प्रधानमंत्री तथा सरकार के राजनीतिक उद्देश्य साधने के लिए सुव्यवस्थित तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक की स्वतंत्र नियमनकारी सत्ता को कमजोर किया गया है और सरकार के खर्च की भरपाई करने के लिए, रिजर्व बैंक के सुरक्षित फंड को हड़पने की कोशिशें की जा रही हैं।

मजदूर वर्ग, किसानों तथा मेहनतकश जनता के सभी तबकों के, अपनी समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर, विरोध कार्रवाइयां संगठित करने के **अधिकारों में काट-छांट** की जा रही है।

हरेक नागरिक के निजता के मौलिक अधिकार पर अतिक्रमण हो रहा है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्र के संविधान प्रदत्त अधिकार पर बड़े पैमाने पर हमले किए जा रहे हैं। मीडिया पर हमले हो रहे हैं और सरकार के प्रति आलोचनात्मक स्वर अपनाने वालों पर सोशल मीडिया में तथा अन्यत्र हमले हो रहे हैं। आरएसएस-भाजपा की आलोचना करने वालों को अंधाधुंध राष्ट्रविरोधी करार दिया जा रहा है। जनतांत्रिक असहमति को ही जुर्म बना दिया गया है। सरकार के निशाने पर आए तबकों, जैसे दालित आदि के पक्ष में खड़े होने वाले बुद्धिजीवियों तथा वकीलों को परेशान किया जाए जा रहा है तथा डराया-धमकाया जा रहा है।

आरएसएस-भाजपा के आलोचकों पर हिंसक शारीरिक हमले हो रहे हैं। यह सिलसिला डा0 नरेंद्र दाभोलकर, का0 गोविंद पानसरे, डा0 एम एम कलबुर्गी तथा गौरी लंकेश जैसे विवेकवादियों तथा बुद्धिजीवियों की हत्याओं तक जाता है।

धर्मनिरपेक्षता पर हमले

मंदिर निर्माण, मुस्लिम नामों को हटाते हुए सार्वजनिक जगहों के नामांतरण जैसे विवादी मुद्दों पर **सांप्रदायिक ध्रुवीकरण तेजी से बढ़ाया** जा रहा है। अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर, घृणा तथा हिंसा का वातावरण बनाया गया है।

गोरक्षा तथा नैतिक दारोगागीरी के नाम पर, **निजी सेनाओं** को संरक्षण दिया जा रहा है। दलितों तथा मुसलमानों पर कातिलाना हमले हो रहे हैं। निजी सेनाओं की बेरोक-टोक गतिविधियों के चलते, भीड़ हिंसा/ हत्या की वारदातें हो रही हैं।

शिक्षा प्रणाली का हमलावर तरीके से सांप्रदायीकरण

नंगई से आरएसएस के अधिकारियों को सभी विश्वविद्यालयों में, उच्च शिक्षा संस्थाओं में, शोध संस्थाओं में, सांस्कृतिक अकादमियों आदि में, ऊंचे पदों पर बैठाया जा रहा है, ताकि भारतीय शिक्षा प्रणाली का सांप्रदायीकरण किया जा सके।

वे सभी स्तरों पर **पाठ्यचर्या की अंतर्वस्तु** को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हिंदुत्व के एजेंडा को आगे बढ़ा सकें।

सत्यानाशी आर्थिक नीतियां

इन पांच सालों में आर्थिक गतिविधि के एक-एक क्षेत्र के दरवाजे **प्रत्यक्ष विदेशी निवेश** के लिए खोले गए हैं और उनके अपने मुनाफे अधिकतम करने को बढ़ावा दिया जा रहा है।

सार्वजनिक परिसंपत्तियों का बड़े पैमाने पर **निजीकरण** किया गया है और बेशकीमती सार्वजनिक परिसंपत्तियां छंटे हुए विदेशी तथा भारतीय कार्पोरेटों के हवाले की जा रही हैं।

दरबारी पूंजीवाद को बेरोक-टोक बढ़ावा दिया जा रहा है। रफाल घोटाला, चुनाव की पूर्व-संध्या में अडानी ग्रुप को निजी क्षेत्र में चलाने के लिए पांच घरेलू हवाई अड्डों का सौंपा जाना तथा भारत का पहला बिजली क्षेत्र का सेज सौंपा जाना, आदि इसी के सबूत हैं। राजनीतिक पार्टियों के लिए चंदे पर पहले लगी रही सभी सीमाओं को हटाकर, चुनावी बांड की योजना शुरू की गयी है, जो इस तरह के दरबारी-रिश्ते से लाभ बटोरने के लिए ही लायी गयी है।

सार्वजनिक धन की लूट को सुगम बनाया जा रहा है तथा बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसका पता डूबंत ऋण 11 लाख करोड़ रु0 से ऊपर पहुंच जाने से चलता है।

नोटबंदी के जरिए, नकद लेन-देन से गुजारा करने वाले करोड़ों लोगों की आजीविकाओं को नष्ट कर दिया गया।

जीएसटी के लागू किए जाने के जरिए, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को करीब-करीब नष्ट ही कर दिया गया। खेती के बाद, सबसे ज्यादा रोजगार इन उद्योगों में ही मिलते हैं। मुद्रा ऋणों में डूबंत कर्जे, 2017-18 की तुलना में, 2018-19 के पहले नौ महीनों में ही 53 फीसद बढ़ गए।

जनता की आजीविका पर अभूतपूर्व हमले

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सस्ते खाद्यान्न की, मनरेगा के तहत मजदूरी आदि की जनता की हकदारियों को छीना गया है या उनमें भारी कटौतियां की गयी हैं।

गहराते कृषि संकट से तबाह होते भारतीय किसान और बढ़ती हताशा में आत्महत्याएं

देहात में जनता का जीना इतना मुश्किल पहले कभी नहीं था। ग्रामीण जनता की वास्तविक आय में अभूतपूर्व तरीके से गिरावट आयी है।

2018 की आखिरी तिमाही—अक्टूबर-दिसंबर—में कृषि आय वृद्धि गिरकर 14 साल के अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गयी और सिर्फ 2.67 फीसद रह गयी (केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय)। रिजर्व बैंक की रिपोर्टें बताती हैं कि कृषि के क्षेत्र में चुकाए न जा सके ऋण, जो 2017 के सितंबर में 70,000 करोड़ रु0 के थे, 2018 के सितंबर तक बढ़कर 1 लाख करोड़ रु0 पर पहुंच चुके थे। इतना भारी कृषि संकट ही हताशा में आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या बढ़ा रहा है।

बेरोजगारी

पिछले कुछ सालों में रोजगार के अवसरों में तेजी से गिरावट आयी है, जिससे हमारे युवा कुंठित हो रहे हैं। मोदी ने हर साल, 2 करोड़ नयी नौकरियां पैदा करने का वादा किया था। उसे अब तक 10 करोड़ नये रोजगार पैदा करने चाहिए थे। लेकिन, सचाई यह है कि बेरोजगारी की दर बढ़कर, 45 साल के अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गयी है और 6.1 फीसद हो गयी है (राष्ट्रीय नमूना सर्वे संगठन)। बेरोजगारी की दर, जो 2018 में 5.9 फीसद थी, 2019 की फरवरी तक बढ़कर 7.1 फीसद पर पहुंच गयी (सेंटर फॉर मॉनीटरिंग इंडियन इकॉनमी)। ग्रामीण क्षेत्र में तो हालात और भी खराब हैं।

एनएसएसओ की रिपोर्टों से पता चलता है कि 2011-12 से 2017-18 के बीच, कैजुअल मजदूरी का 3.2 करोड़ लोगों का काम छिना था। इसकी मार ऐसे 1.5 करोड़ परिवारों पर पड़ी थी, जो कैजुअल मजदूरी और खेती, दोनों से होने वाली आय पर गुजर करते थे।

अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों पर बढ़ते हमले

अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के खिलाफ अत्याचारों में लगातार बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश तथा राजस्थान के पिछले भाजपा शासनों में इन अत्याचारों में खासतौर पर बढ़ोतरी हुई थी।

आदिवासियों के विशाल हिस्से को, वनाधिकार कानून के अंतर्गत जमीनों के जो पट्टे मिलने चाहिए थे, उनसे वंचित रखा गया है।

'गुजरात मॉडल' का बहुत ढोल पीटा जाता है, लेकिन उसी गुजरात के उदाहरण से इन बढ़ते हमलों की सचाई को समझा जा सकता है। इस राज्य में पिछले पांच साल में (खुद राज्य विधानसभा के रिकार्ड के अनुसार) अनुसूचित जाति के खिलाफ अत्याचारों में 32 फीसद और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ अत्याचारों में 55 फीसद की बढ़ोतरी हुई है।

महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा

महिलाओं को बढ़ती हिंसा का निशाना बनाया गया है। 2016 में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में भारी बढ़ोतरी आंकड़ों में देखने को मिली थी। उसके बाद से इस सरकार ने, इन अपराधों के राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़े प्रकाशित करना ही बंद करा दिया है।

कुल मिलाकर हमारे समाज का अमानवीयकरण हुआ है, जिसकी अभिव्यक्ति महिलाओं के खिलाफ तथा खासतौर पर छोटी-छोटी बच्चियों के खिलाफ बढ़ते अत्याचारों में होती है। छोटी बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या की नृशंस वारदातें हो रही हैं।

अमीरों को और अमीर और गरीबों को और गरीब बनाया

देश में पैदा होने वाली कुल संपदा में, हमारी आबादी के सबसे धनी एक फीसद का हिस्सा, जो 2014 में 49 फीसद था, इन पांच सालों में बढ़कर 73 फीसद हो गया है।

मजदूरों तथा कर्मचारियों की कार्य-दशाओं में हुई भारी गिरावट के साथ ही साथ, पैट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में असह्य बढ़ोतरी हुई है क्योंकि सरकार ने अपने करों

तथा शुल्कों को कम करने से इंकार कर दिया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था को कमजोर किया

इस सरकार द्वारा अपने प्रदर्शन को बढ़ाकर दिखाने के लिए शुरू की गयी नयी जीडीपी शृंखला तक यही बताती है कि 2018-19 की पहली तीन तिमाहियों में जीडीपी 7 फीसद ही रहा था, जो 2013-14 के 8.2 फीसद के स्तर के बाद से, सबसे निचला स्तर है। पहली जीडीपी शृंखला के हिसाब से तो यह सिर्फ 4.7 फीसद ही बैठता है।

पिछले वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में, जीडीपी वृद्धि दर और गिरकर 6.6 फीसद रह गयी, जोकि अर्थव्यसस्था के मंदी की ओर खिसक रहे होने का इशारा करता है। यही है भारत के दुनिया की 'सबसे तेजी से बढ़ती' अर्थव्यवस्था होने के मोदी के दावों की हकीकत!

सरकार के सारे लंबे-चौड़े दावों के बावजूद, जीएसटी से राजस्व संग्रह के हिस्से में लगातार गिरावट हुई है और 2017-18 के 7.8 फीसद से घटकर, 2018-19 में यह हिस्सा 5.8 फीसद रह गया है। यह अर्थव्यवस्था की रफ्तार में भारी कमी को दिखाता है।

नोटबंदी और जीएसटी के दुहरे हमले ने, देश की आर्थिक बुनियादों को कमजोर कर दिया है। नोटबंदी से पहले के दौर में विश्व जीडीपी 2.6 की दर से बढ़ रहा था, जबकि भारत में नोटबंदी लागू किए जाने से बाद के दौर में यह 3.1 फीसद की दर से बढ़ रहा था। लेकिन, भारत में नोटबंदी के बाद के दौर में जीडीपी, 7.8 फीसद से गिरकर, 6.8 फीसद रह गया।

जनता की रोजी-रोटी के तबाह किए जाने के चलते घरेलू मांग के स्तर में भारी गिरावट आयी है। इसने विनिर्माण तथा औद्योगिक क्षेत्रों में विकास को पंगु कर दिया है। इसी का नतीजा है कि देश के अग्रणी ऑटोमोबाइल निर्माता, मारुति सुजूकी ने मांग में कमी के चलते, उत्पादन में 27 फीसद कटौती करने का एलान किया है। आठ बुनियादी ढांचागत उद्योगों के विकास दर, 2014 की फरवरी के अपने स्तर के मुकाबले, 2019 की जनवरी तक, 2.9 फीसद नीचे चली गयी थी। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आइपीपी) में 2018 के नवंबर में दयनीय रूप से नीचे चला गया और कोई बढ़ोतरी होने की जगह, उसमें 0.3 फीसद की गिरावट ही दर्ज हुई, जबकि इससे पहले के सात महीनों में औसतन 5.7 फीसद वृद्धि ही हुई थी।

अवमूल्यन के चलते रुपया अपने ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर पहुंच गया है। जहां 2014 में अमरीकी डालर का भाव 63.19 रु0 चल रहा था, 2019 तक यह भाव बढ़कर 71.76 रु0 पर पहुंच चुका था।

भारत की निर्यात आय में भारी कमी के चलते, देश का भुगतान संतुलन 2014 की फरवरी से 2019 की जनवरी के बीच, पूरे 29 फीसद नीचे खिसक गया है।

इन पांच सालों में बढ़ता हुआ चालू खाता घाटा यानी भारत के आयातों तथा निर्यातों के मूल्य में बढ़ता हुआ अंतर दर्ज हुआ है। चालू खाता घाटा, जो 2017-18 में जीडीपी के 1.1 फीसद के बराबर था, 2018-19 में 2.9 फीसद हो गया। डालर मूल्य के लिहाज से यह व्यापार घाटे के 6.1 अरब डालर से बढ़कर 19.1 अरब डालर हो जाने को दिखाता है।

इन पांच सालों में कृषि की वृद्धि दर रिकार्ड निचले स्तर पर रही है। कृषि वृद्धि दर 5.1 फीसद से गिरकर 2.7 फीसद रह गयी और 2015 की फरवरी से 2019 की फरवरी के बीच और भी गिरकर, 1.7 फीसद ही रह गयी (सीएसओ)। पिछली चार तिमाहियों में लगातार चौथी बार ऋणात्मक यानी शून्य से कम वृद्धि दर्ज हुई है।

संघीय ढांचे पर हमले

केंद्र-राज्य संबंधों में भारी गिरावट

जीएसटी के लागू होने से राज्यों से राजस्व जुटाने के उनके अधिकार छिन गए हैं।

योजना आयोग के खत्म किए जाने से राज्यों से, अपनी ही आर्थिक योजनाओं व लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए, उनका मंच छिन गया है।

मोदी सरकार लगातार गैर-भाजपा राज्य सरकारों को धारा-356 के तहत भंग करने की धमकियां देती रही है।

इन पांच सालों में केंद्र व राज्यों के बीच कर राजस्व का वितरण असमानतापूर्ण व अन्यायपूर्ण रहा है।

राष्ट्रीय सुरक्षा

मोदी सरकार की जम्मू-कश्मीर नीति सत्यानाशी साबित हुई है। इसने घाटी की जनता का परायापन और बढ़ाया है।

आतंकी वारदातों में बहुत भारी बढ़ोतरी हुई है। 2009-14 और 2014-19 की अवधियों के बीच, आतंकवादी हमले की घटनाएं 109 से बढ़कर 626 हो गयी हैं। इन हमलों में मारे गए सुरक्षाकर्मियों की संख्या 139 से बढ़कर 483 हो गयी है। इन घटनाओं में मारे गए आम नागरिकों की संख्या 12 से बढ़कर 210 हो गयी है और युद्धविराम के उल्लंघनों की संख्या 563 से बढ़कर, 5596 हो गयी है।

स्थानीय नौजवानों के मिलिटेंट ग्रुपों में शामिल होने में बहुत ही चिंतित करने वाली

बढ़ोतरी हुई है। मारे गए स्थानीय मिलिटेंटों की संख्या, जो 2014 में 16 ही थी, 2018 में बढ़कर 191 हो गयी।

इस सरकार ने कश्मीर की जनता के साथ किए गए इस वादे के साथ दगा की है कि सभी हितधारकों के साथ राजनीतिक संवाद शुरू किया जाएगा और विश्वास निर्माण के कदम लागू किए जाएंगे।

उरी के आतंकवादी हमले के बाद हुई सर्जिकल स्ट्राइक, सीमा पार से आतंकवादी हमले बंद कराने में विफल रही है। इन हमलों का सिलसिला पुलवामा हमले तक जा पहुंचा है।

पाकिस्तान में बालाकोट में आतंकवादियों के ठिकाने पर वायु सेना के हमले के बाद के दौर में, आतंकवादी हमले जारी रहे हैं तथा और भी सुरक्षाकर्मी मारे गए हैं।

भाजपा–आरएसएस इस मुद्दे का घृणित तरीके से राजनीतिक इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं, जबकि पूरे देश तथा तमाम विपक्षी पार्टियों ने एक स्वर से आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई का साथ दिया है।

विदेश नीति

भारत की स्वतंत्र विदेश नीति के परित्याग की मुख्य बातें

विदेश नीति की दिशा को अमरीकी वैश्विक रणनीति के हिसाब से बदला गया है। भारत को अमरीकी साम्राज्यवाद का कनिष्ठ साझीदार बनाकर रख दिया गया है।

सभी पड़ौसी देशों के साथ बिरादराना संबंधों में गिरावट आयी है।

अमरीका तथा इस्त्राइल के साथ रक्षा–रिश्तों को गहरा किया गया है।

गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को करीब–करीब छोड़ ही दिया गया है।

अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा जिन देशों की संप्रभुता पर हमले किए जा रहे हैं, जिसमें सैन्य दखलंदाजी भी शामिल है, उनके जनगण के साथ भारत की परंपरागत एकजुटता का त्याग कर दिया गया है। वेनेजुएला, इसका ताजातरीन उदाहरण है।

भारत के रक्षा प्रतिष्ठानों के दरवाजे अमरीका के लिए खोल दिए गए हैं और एक बड़े रक्षा साझीदार के तौर पर अमरीका के साथ गठजोड़ किया जा रहा है।

2014 के सभी चुनावी वादों से नंगई से दगा की

इन पांच सालों में भाजपा ने, खासतौर पर नरेंद्र मोदी ने, देश की जनता से किए गए

एक-एक वादे को तोड़ा है। हर साल दो करोड़ रोजगार पैदा करने का वादा यानी अब तक 10 करोड़ रोजगार पैदा करने का वादा; किसानों उनकी कुल उत्पादन लागत से डेढ़ गुना न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने का वादा; काला धन देश में वापस लाने का और हरेक देशवासी के खाते में 15 लाख रु0 जमा कराने का वादा, आदि आदि।

इस सरकार के इस निराशाजनक प्रदर्शन को देखते हुए, इस आम चुनाव में मोदी सरकार से, वादे कर के उन्हें तोड़ने के उसके रिकार्ड का हिसाब लिया जाना चाहिए।

फिर भी सबसे बड़ी बात यह है कि यह चुनाव, स्वतंत्र भारत का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, जो हमारी धर्मनिरपेक्ष, जनतांत्रिक, संवैधानिक व्यवस्था के भविष्य का फैसला करेगा।

इस संवैधानिक गणतंत्र की हिफाजत करने के लिए, उसे और पुख्ता करने के लिए और नीतियों की दिशा को एक मूलगामी जनोन्मुखी दिशा में मोड़ने के लिए, यह जरूरी है कि भाजपा और उसके सहयोगियों को हराया जाए।

मतदाताओं से सी पी आइ (एम) की अपील

सी पी आइ (एम) मतदाताओं से अपील करती है:

अ. भाजपायी गठजोड़ को हराओ!

ब. लोकसभा में सी पी आइ (एम) और वामपंथ की ताकत बढ़ाओ!!

स. केंद्र में वैकल्पिक धर्मनिरपेक्ष सरकार का गठन सुनिश्चित करो!!!

भाग-2
वैकल्पिक नीतियां

यह स्पष्ट है कि हमारे देश और जनता को आर्थिक वृद्धि तथा समग्रता में विकास के एक वैकल्पिक यात्रा पथ की जरूरत है। भाजपा सरकार द्वारा चलाए जा रहे नीतियों के मौजूदा पैकेज को और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तीखा करने के उसके एजेंडा को ठुकराते हुए, जनहितकारी नीतियों की दिशा में नीतिगत बदलाव के आधार पर ही इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।

भारत में संसाधनों की कोई कमी नहीं है। दरबारी पूंजीवाद के जरिए तथा रफाल लड़ाकू विमान सौदे जैसे घोटालों के जरिए, हमारे संसाधनों की मौजूदा लूट को अगर बंद करा दिया जाए तो, इसके लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध हैं कि देश के हरेक नागरिक को शिक्षा, उम्दा स्वास्थ्य रक्षा, रोजगार तथा उपयुक्त जीवनयापन साधन उपलब्ध कराए जा सकें। बहरहाल, इसके लिए नीतिगत दिशा में मूलगामी बदलाव की जरूरत होगी और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

इस तरह के वैकल्पिक नीतिगत मंच की, जिसे लागू करने के लिए सी पी आइ (एम) वचनबद्ध है, मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

मुख्य बातें

- धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत और संविधान में सन्निहित जनतांत्रिक अधिकारों की हिफाजत करना।
- किसानों का इसका अधिकार लागू कराना कि अपनी पैदावार, अपनी कुल उत्पादन लागत से डेढ़ गुने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचें।
- मजदूरों के लिए कम से कम 18,000 रु0 महीना की वैधानिक न्यूनतम मजदूरी; मजदूरी का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ा जाना सुनिश्चित करना।
- सार्वभौम सार्वजनिक वितरण के जरिए, ज्यादा से ज्याद 2 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से, प्रति परिवार 35 किलोग्राम या प्रतिव्यक्ति 7 किलोग्राम अनाज का प्रावधान।
- मुफ्त स्वास्थ्य रक्षा का अधिकार। निजी बीमा संचालित स्वास्थ्य रक्षा व्यवस्था को खत्म किया जाए। स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च बढ़ाकर जीडीपी के 5 फीसद के बराबर किया जाए।
- महिलाओं के लिए संसद तथा राज्य विधानसभाओं में एक-तिहाई आरक्षण लागू

हो। महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ हिंसा को खत्म कराने के लिए चौतरफा कदम उठाए जाएं।

- शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के साथ, सार्वजनिक शिक्षा व्यवस्था का भारी विस्तार हो, जिसमें स्कूली शिक्षा तथा उच्च शिक्षा, दोनों शामिल हों। शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च बढ़ाकर जीडीपी के 6 फीसद के बराबर किया जाए। शिक्षा का सांप्रदायीकरण रोका जाए और उसका जनतांत्रिक चरित्र सुनिश्चित किया जाए।
- एक संवैधानिक अधिकार के रूप में काम का अधिकार सुनिश्चित किया जाए। बेरोजगारों के लिए बेकारी भत्ते का प्रावधान हो।
- सभी नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन, जो न्यूनतम मजदूरी के कम से कम आधे या 6,000 रु0 महीना में से, जो भी अधिक हो उसके बराबर हो।
- सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का निजीकरण रोका जाए और प्रतिरक्षा, ऊर्जा, रेलवे तथा बुनियादी सेवाओं के निजीकरण को पलटा जाए।
- अनुसूचित जातियों व जनजातियों के लिए निजी क्षेत्र में नौकरियों तथा शिक्षा में आरक्षण।
- धनवानों पर तथा कार्पोरेट मुनाफों पर कर बढ़ाए जाएं। अति-धनिकों पर संपदा कर लगाया जाए और उत्तराधिकार कर लगाया जाए। दीर्घावधि पूंजी लाभ कर बहाल किया जाए।
- आंशिक सूची प्रणाली के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लाकर चुनाव प्रणाली में सुधार किया जाए। चुनावी बांड व्यवस्था को निरस्त किया जाए। चुनावी खर्च के लिए, सामग्री के रूप में सरकारी फंडिंग हो।

धर्मनिरपेक्षता की हिमायत में

सी पी आइ (एम), धर्म और राजनीति के अलग रखे जाने के हक में और इसे कारगर बनाने के लिए जरूरी तमाम कानून बनाए जाने और उनके लागू किए जाने के पक्ष में है। सांप्रदायिक हिंसा से सख्ती से निपटा जाना चाहिए। शासन को सभी क्षेत्रों में धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बढ़ावा देना चाहिए। सी पी आइ (एम) निम्नलिखित चीजों के लिए काम करेगी:

- भाजपा सरकार द्वारा अति-महत्वपूर्ण पदों पर बैठाए गए आरएसएस के कारकूनों का हटाया जाना।
- सांप्रदायिक हिंसा के खिलाफ एक चौतरफा कानून बनाना। संघीय ढांचे का अतिक्रमण किए बिना सांप्रदायिक हिंसा के पीड़ितों के लिए त्वरित न्याय और समुचित मुआवजा व शासकीय सहायता सुनिश्चित करना।

- तरह-तरह की 'सेनाओं' जैसी ऐसी तमाम अवैध निजी सेनाओं व स्वयंभू रक्षक गिरोहों पर फौरन प्रतिबंध लगाना, जो गोरक्षा के नाम पर दलितों तथा अल्पसंख्यकों पर हमले करते हैं और सांप्रदायिक घृणा फैला रहे हैं। सांप्रदायिक घृणा फैलाने तथा अल्पसंख्यकों पर हमले करने में लगे संगठनों तथा संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई करने तथा उन पर अंकुश लगाने के लिए, उपयुक्त कानून बनाना। भीड़ हिंसा/ हत्या के खिलाफ कानून बनाना।
- सांप्रदायिक हिंसा करने वालों के खिलाफ, वे चाहे किसी भी सार्वजनिक या सरकारी पद पर हों, ऐसी कार्रवाई सुनिश्चित करना जो सबके लिए एक सबक हो।
- हर तरह के भय या भेदभाव से मुक्त, समता तथा सम्मान का जीवन जीने के अल्पसंख्यकों के अधिकारों की हिफाजत करना।
- सभी स्कूली पाठ्यपुस्तकों को, सांप्रदायिक झुकाव तथा पूर्वाग्रहों को प्रदर्शित करने वाली सामग्री से मुक्त बनाना।

संवैधानिक तथा जनतांत्रिक अधिकारों की हिमायत में

- संविधान में संशोधन कर, सभी अंतर्राष्ट्रीय संधियों के लिए संसद का अनुमोदन हासिल करना अनिवार्य किया जाए।
- औपनिवेशिक दौर के राजद्रोह कानून, भारतीय दंड संहिता की धारा, 124ए को निरस्त किया जाए।
- आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट (अफस्पा) को निरस्त किया जाए और उसकी जगह पर एक ऐसा उपयुक्त कानून लाया जाए जो सशस्त्र बलों के संचालन के लिए एक ऐसा कानूनी खाका मुहैया कराए, जो बेरहम प्रावधानों से दूर होगा।
- राष्ट्रीय सुरक्षा कानून और अवैध गतिविधि निवारण कानून (यूएपीए) को निरस्त/ संशोधित करना।
- भारतीय दंड संहिता की मानहानि से संबंधित धारा, 499 को निरस्त करना।
- **यातनाओं** और अन्य क्रूर, अमानवीय या अपमानजनक बर्तावों या सजाओं पर रोक से संबंधित **कन्वेंशन** का अनुमोदन करना।
- भारतीय दंड संहिता तथा अन्य कानूनों में संशोधन कर, मौत की सजा को देश के कानूनों से हटाना।
- एक नागरिक चार्टर तथा शिकायत निपटान कानून बनाकर, सेवाओं की समयबद्ध आपूर्ति व शिकायतों के समयबद्ध निपटान को सुनिश्चित करने के लिए, एक कानूनी खाका मुहैया कराना।

- कानून बनाकर यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक कार्यक्रमों के प्रभाव व कामयाबी की अनिवार्य सामाजिक ऑडिटिंग व जवाबदेही को शासन के सभी क्षेत्रों तक फैलाया जाए और अपने जनादेश के लिए सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, हरेक नागरिक को अधिकार संपन्न बनाया जाए।
- सभी सामाजिक कल्याण कदमों के मामले में, आधार तथा बॉयोमीट्रिक्स के उपयोग को निरस्त किया जाए।

वैकल्पिक आर्थिक नीतियां

विकास का वैकल्पिक यात्रा पथ

सीपीआइ(एम) निम्नलिखित चीजें करने वाली आर्थिक नीतियों के लिए काम करेगी:

- योजना आयोग को बहाल किया जाए।
- आर्थिक वृद्धि को, पूर्ण रोजगार पैदा करने के लिए रोजगार निर्माण के साथ और मांग को बढ़ावा देने के लिए जनता के हाथों में क्रय शक्ति पहुंचाने के साथ जोड़ा जाए।
- अमीरों, कार्पोरेट मुनाफों और ऐशो-आराम की चीजों पर कर लगाकर, कर आधार को बढ़ाया जाए।
- खेती के उत्पादन, शोध तथा सिंचाई में सार्वजनिक निवेश बढ़ाए जाएं।
- भौतिक तथा सामाजिक बुनियादी ढांचा जैसे बिजली, सार्वजनिक परिवहन, बंदरगाह, स्कूल, कालेज तथा सार्वजनिक अस्पताल मुहैया कराने के लिए, सार्वजनिक निवेश के वास्ते पर्याप्त आवंटन हों।
- आराम के मालों के उत्पादन को।
- बीज, उर्वरक, बिजली/डीजल आदि, लागत वस्तुओं का सार्वजनिक रूप से प्रावधान किया जाए और उनके लिए सब्सीडी दी जाए।
- शोध व विकास के लिए प्रोत्साहन दिए जाएं और विशेष पहलें की जाएं, ताकि छोटे तथा मंझले उद्यमों के प्रतिस्पर्द्धीपन को, जो कहीं ज्यादा रोजगार मुहैया कराते हैं, बढ़ाया जा सके।
- फिस्कल रिस्पोंसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट (एफआरबीएम) को निरस्त किया जाए और सामाजिक क्षेत्र के खर्चों का एक न्यूनतम स्तर तय किया जाए, जो केंद्र व राज्य दोनों ही स्तरों की सरकारों की राजकोषीय कसरतों के लिए एक बाध्यकर न्यूनतम सीमा का काम करे।
- सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों में सरकारी हिस्सा पूंजी का और घटाना फौरन बंद हो और

प्राथमिकता क्षेत्र ऋण वितरण नियम-कायदों का कड़ाई से पालन कराते हुए, बैंकिंग व बीमा में सार्वजनिक क्षेत्र को और मजबूत किया जाए।

- वित्तीय क्षेत्र के सभी नियमनकारी प्राधिकारों को अनिवार्य रूप से संसद तथा विधायिका के प्रति जवाबदेह बनाया जाए।
- राष्ट्रीय महत्व के बड़े आर्थिक निर्णयों में राज्य सरकारों को शामिल किया जाए। राज्यों की निर्णय करने की शक्तियों को बहाल किया जाए और राजस्व जुटाने के मामले में राज्यों के लिए ज्यादा लचीलेपन की गुंजाइश दी जाए।

संसाधन जुटाने के लिए

सी पी आइ (एम) निम्नलिखित चीजें करेगी:

- दीर्घावधि पूंजी लाभ कर बहाल करने और सीक्यूरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाने के जरिए, सट्टाबाजाराना मुनाफों पर कर लगाना।
- यह सुनिश्चित करना कि कर्ज लेकर जो भी डिफाल्टर कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए देश से बाहर भाग गए हैं, उन्हें सजा दिलायी जाए और लूटा हुआ पैसा उनसे ब्याज समेत वसूल किया जाए।
- अति-धनिकों के लिए संपदा कर बहाल किया जाए और दाय-भाग कर शुरू किया जाए।
- नैगम लाभ कर, वैधानिक दरों में बढ़ोतरी कर के बढ़ाया जाए ताकि प्रभावी कर दरें नीची न रहें, जिससे राजस्व की भारी हानि होती है।
- भारत में अंतर्निहित परिसंपत्तियों से, किसी विदेशी कंपनी में शेयरों के अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण से होने वाले पूंजी लाभ पर कर लगाना।
- हमारे देश के संघीय ढांचे का तथा राज्यों के साथ संसाधनों की हिस्सेदारी के जरिए उनके अधिकारों का सम्मान करते हुए, जीएसटी को आमूल बदलना।

वित्तीय क्षेत्र में नियमन

वित्त पर शासन का प्रधानतापूर्ण नियंत्रण बनाए रखने और विकास वित्त को पुनर्जीवित करने के लिए, सी पी आइ (एम) निम्नलिखित के पक्ष में है:

- पूर्ण पूंजी खाता परिवर्तनीयता की ओर जाने वाले कदमों को पलटा जाए। वित्तीय पूंजी की आवक और जावक पर अंकुश फिर से लगाए जाएं।
- विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआइआइ) द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पार्टिसिपेटरी नोट्स पर पाबंदी लगायी जाए।

- आरबीआइ की स्वायत्तता की हिफाजत की जाए तथा वित्तीय नियमनकारी व्यवस्था का आधुनिकीकरण किया जाए। बैंकों पर नियमन की आरबीआइ की भूमिका को और मजबूत किया जाए। आरबीआइ द्वारा बैंकों के लिए इसके स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए जाएं कि वे हर तरह की बैंकिंग सेवाओं के लिए ग्राहकों से पैसा वसूलना बंद करें और आबीआइ द्वारा बैंकों को भारी नुकसान पहुंचाने के दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
- निजी क्षेत्र में बैंकों के लिए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को फौरन रोका जाए और 2012 के बैंकिंग नियमन (संशोधन) कानून की समीक्षा की जाए।
- बैंकों के अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखना सुनिश्चित किया जाए तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के विलय के लिए उठाए गए सभी कदमों की समीक्षा की जाए और बैंक ब्रांचों के बंद किए जाने को रोका जाए।
- विदेशी बैंकों द्वारा भारतीय बैंकों के अधिग्रहण को रोका जाए।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं कि बड़े कारोबारी घराने अपनी परियोजनाओं का जोखिम बैंकों पर न डाल दें और डिफाल्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए तथा डूबंत ऋण वसूल करने के लिए बैंकिंग नियमनों को मजबूत किया जाए। डिफाल्टरों की सूचियां प्रकाशित की जाएं। उगाही के लिए पारदर्शी कदम उठाए जाएं। परिसंपत्तियों की उगाही की प्रक्रियाएं अपनायी जाएं, जिनमें परिसंपत्तियों को कुर्क करना तथा उनकी बिक्री और इसके साथ ही जान-बूझकर कर्जा मारने वालों, उनकी कंपनियों तथा उनकी शाखाओं-उपशाखाओं के कोई नये ऋण लेने पर या ऋणों का पुनर्गठन करने पर रोक लगाना शामिल हैं। जान-बूझकर ऋण मारने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए तथा आपराधिक मामले की कार्रवाई की जाए।
- कर स्वर्गों के इस्तेमाल और पूंजी के अवैध प्रवाहों पर रोक लगायी जाए। दुहरा कराधान निवारण समझौतों के चोर-दरवाजों को बंद किया जाए।
- समुचित नियमन के साथ लघु बचतों को मजबूत किया जाए। चिटफंडों के लिए कानून को मजबूत किया जाए ताकि साधारण लोगों की जमाओं की सलामती सुनिश्चित की जा सके। ऐसी ठगी की योजनाओं के मालिकान की संपत्तियां जब्त की जाएं और पीड़ित जमाकर्ताओं के पैसे के भुगतान की व्यवस्था की जाए।
- वित्तीय क्षेत्र के दरवाजे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए खोलने के प्रस्ताव को वापस लिया जाए।
- बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अधिकतम सीमा 26 फीसद रहना सुनिश्चित

किया जाए।

ढांचागत क्षेत्र

सी पी आइ (एम) निम्नलिखित के पक्ष में है:

- प्रतिरक्षा उत्पादन क्षेत्र में निजीकरण को पलटा जाए। रक्षा उत्पादन में निजी भागीदारी को निरस्त करने के लिए फौरन कदम उठाए जाएं। रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाहों को रोका जाए। राजकीय स्वामित्व वाले प्रतिरक्षा उद्योग को मजबूत किया जाए तथा उसका विस्तार किया जाए, ताकि प्रतिरक्षा के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल की जा सके।
- ढांचागत क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश बढ़ाया जाए। बिजली, संचार, रेलवे, सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डों आदि के लिए, पर्याप्त योजना आवंटन रखा जाए।
- रेलवे में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नहीं आना चाहिए। रेलवे, प्रतिरक्षा, गोदी व बंदरगाह, बीमा, कोयला, जल संसाधन आदि के निजीकरण के फैसलों को निरस्त किया जाए।
- आत्मनिर्भर राष्ट्रीय विकास के तकाजों के अनुरूप, ऊर्जा तथा दूरसंचार नीतियों की समीक्षा की जाए। देश में बिजली तथा दूरसंचार उपकरण विनिर्माण का विकास करने के लिए, घरेलू बाजार का इस्तेमाल किया जाए।
- निजी बिजली उत्पादकों की ओर बढ़ने तथा वितरण कंपनियों का निजीकरण करने के रुझान को पलटा जाए। निजी खिलाड़ियों के लिए शहरों की फ्रेंचाइजी देना बंद किया जाए।
- दूरसंचार नीतियों में बदलाव ताकि दूरसंचार की पहुंच और ग्रामीण इलाकों में कनैक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा सके। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, बीएसएनएल तथा एमटीएनएल को मजबूत किया जा और उनके लिए आवश्यक स्पैक्ट्रम का आवंटन किया जाए ताकि वे अपनी सेवाओं को उन्नत बना सकें।
- ब्रॉडबैंड की पहुंच बढ़ाना और इंटरनैट तक सार्वभौम, सस्ते दाम में पहुंच।
- पीपीपी रूट के माध्यम से ढांचागत क्षेत्र के निजीकरण पर पुनर्विचार।
- हवाई अड्डों के निजी क्षेत्र में रख-रखाव तथा उन्नयन के आदेशों को निरस्त करना। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा पहले ही आधुनिकीकृत घरेलू हवाई अड्डों के लिए अब और कोई पीपीपी नहीं किए जाएं।
- ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं पर जोर। ग्रामीण सड़कों, बिजलीकरण आदि के लिए, आवंटन में बढ़ोतरी।

व्यापार के मुद्दे

सी पी आइ (एम) निम्नलिखित के हक में है:

- भारतीय हितों की रक्षा करना और भारतीय मालों पर तटकर बढ़ाने तथा उसके खिलाफ 'व्यापार युद्ध' चलाने के अमरीका के कदमों का मुकाबला किया जाए।
- छोटे व सीमांत किसानों को बचाने के कदमों को बहाल किया जाए, जिसमें आयात पर परिणात्मक पाबंदियां भी शामिल हैं।
- स्वास्थ्य, शिक्षा, जल संसाधन, बैंकिंग व वित्तीय सेवाओं जैसे क्षेत्रों को गैट्स के दायरे से बाहर रखना। ट्रिप्स समझौते की समीक्षा पर जोर देना।
- वर्तमान मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) की समीक्षा करना। योरपीय यूनियन के साथ मौजूदा शर्तों पर मुक्त व्यापार समझौते के लिए वार्ताओं को आगे नहीं बढ़ाया जाए।

संघीय व्यवस्था को मजबूत करना

केंद्र-राज्य संबंधों के पूरे पुनर्गठन के लिए, सी पी आइ (एम) निम्नलिखित के पक्ष में है:

- धारा-356 को एक उपयुक्त प्रावधान से प्रतिस्थापित किया जाए और धारा-355 में संशोधन किया जाए, ताकि इन धाराओं के दुरुपयोग को रोका जा सके।
- राज्यपालों की मौजूदा भूमिका तथा हैसियत की समीक्षा। मुख्यमंत्री द्वारा सुझाए गए तीन जाने-माने व्यक्तियों के पैनल में से, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाए।
- केंद्र सरकार के कुल कर संग्रह का 50 फीसद राज्यों के साथ बांटा जाए। सरचार्जों और महसूलों से प्राप्तियों को राज्यों के साथ साझा किया जाए।
- केंद्र सरकार के गैर-कर राजस्वों को राजस्व के विभाज्य पूल में शामिल किया जाए और इसके लिए संविधान संशोधन लाया जाए।
- राज्यों पर, एफआरबीएम कानून को पारित करने जैसी जो शर्तें थोपी गयी हैं, उन्हें वापस लिया जाए। वित्त आयोगों के गठन तथा उनकी विचार-शर्तों में, राज्यों को दखल हासिल होना चाहिए।
- केंद्र प्रायोजित योजनाएं, राज्य के लिए फंड के साथ, राज्य के विषय के रूप में राज्यों को हस्तांतरित की जाएं।
- संविधान में संशोधन कर, अंतर्राज्यीय परिषद के निर्णय केंद्र सरकार के लिए बाध्यकर बनाए जाएं। राष्ट्रीय विकास परिषद को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। योजना आयोग को बहाल किया जाए और वह राष्ट्रीय विकास परिषद के कार्यपालक

बाजू के तौर पर काम करे।

- जीडीपी के अनुपात के रूप में स्थानीय स्वशासी निकायों पर खर्च की एक न्यूनतम सीमा तय की जाए। स्थानीय निकायों के आवंटित किए जाने वाले फंड, राज्य सरकार के जरिए मुहैया कराए जाएं।

उद्योग

सी पी आइ (एम) निम्नलिखित के पक्ष में है:

- नयी पूंजी तथा प्रौद्योगिकी लाने के जरिए, आधारभूत तथा रणनीतिक क्षेत्रों में सार्वजनिक क्षेत्र को मजबूत करना तथा उसका विस्तार। सार्वजनिक क्षेत्र में स्वायत्तता तथा कार्य-कुशलता को बढ़ावा देना।
- विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि को एक दीर्घावधि औद्योगिक नीति के जरिए प्राथमिकता दी जाए। यह औद्योगिक नीति ऐसी हो जिसमें निवेश का रणनीतिकरण किया जाए और रोजगार निर्माण के लिए प्रोत्साहन निर्मित किए जाएं।
- मुनाफादेह तथा संभावित रूप से वहनीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के विनिवेश तथा निजीकरण को पूरी तरह से रोका जाए। महत्वपूर्ण सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए, जन हित में पुनर्जीवन पैकेज दिए जाएं।
- बीमार जूट मिलों तथा चाय बागानों को पुनर्जीवित किया जाए तथा खोला जाए।
- पर्याप्त प्रोत्साहन, ढांचागत सहायता तथा बैंकों से पर्याप्त ऋण दिलाने के साथ, श्रम सघन क्षेत्रों में लघु तथा मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहित किया जाए। क्लस्टर डैवलपमेंट प्रोजैक्ट्स (सीडीपी) के लिए वित्तीय आवंटन बढ़ाए जाएं।
- आयत शुल्कों में अंधाधुंध तरीके कटौती से और विदेशी कंपनियों द्वारा पहले से चल रही भारतीय कंपनियों के अधिग्रहण से, घरेलू उद्योगों की हिफाजत की जाए। निजी क्षेत्र को विनिर्माण तथा सेवाओं के क्षेत्र में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। रोजगार निर्माण तथा शोध व विकास प्रयासों से जुड़े सार्वजनिक क्षेत्र को, प्रोत्साहन दिए जाएं।
- खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर रोक लगायी जाए। ई-कॉमर्स, घरेलू कार्पोरेट खुदरा खिलाड़ियों का लाइसेंसिंग नीति के जरिए नियमन किया जाए।
- सेज (एसईजैड) कानून व नियमों में संशोधन कर, उनके लिए भांति-भांति की कर छूटों को खत्म किया जाए और भूमि उपयोग का नियमन किया जाए। सभी सेजों में श्रम कानूनों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए।
- खनिज क्षेत्र के और उदारीकरण तथा निजीकरण को रोका जाए। निजी क्षेत्र को घरू उपयोग के लिए आवंटित किए गए ऐसे सभी कोयला ब्लाकों को, जिन पर कोयला

निकलना शुरू नहीं हुआ है, कोल इंडिया लि0 को लौटाए जाएं।

- कोल इंडिया लि0 को एक एकात्मक कंपनी बनाया जाए और कोयले के खनन के लिए और उद्योगों व ग्राहकों तक उसकी आपूर्ति के लिए, इकलौती एजेंसी बनाया जाए। कोयला खदानों के वाणिज्यिक खनन की इजाजत देने के फैसले को वापस लिया जाए।
- कपड़ा, कालीन, दस्तकारी, चमड़ा, हथकरघा, नारियल जटा आदि, परंपरागत उद्योगों को संरक्षण दिया जाए।
- इन उद्योगों में काम करने वालों को नियंत्रित कीमतों पर लागत सामग्री मुहैया करायी जाए। इन उद्योगों में डिजाइन, प्रौद्योगिकी तथा कौशलों में सुधार किया जाए और मार्केटिंग आदि के लिए, पर्याप्त सुविधाएं व विस्तार सेवाएं मुहैया करायी जाएं।

कृषि का पुनर्जीवन

कृषि संकट को पलटने, कृषि को लाभकारी बनाने तथा किसानों के लिए बढ़ी हुई आय सुनिश्चित करने के लिए, सी पी आइ (एम) निम्नलिखित के लिए कदमों का प्रस्ताव करती है:

- खेती की पैदावार की लागत सामग्री के कुल खर्च के कम से कम डेढ़ गुने के बराबर न्यूनतम समर्थन मूल्य पर, अपनी पैदावार बेचने का किसानों को अधिकार दिलाने के लिए, कानून बनाना।
- ग्रामीण क्षेत्र पर सार्वजनिक खर्च में उल्लेखनीय बढ़ोतरी करना ताकि ग्रामीण गरीबों क्रय शक्ति बढ़ायी जा सके और कृषि में उत्पादकता बढ़ायी जा सके।
- कृषि शोध तथा विस्तार सेवाओं के लिए, सार्वजनिक निवेश बढ़ाए जाएं और सार्वजनिक संस्थाओं का विस्तार किया जाए।
- फिर से परिमाणात्मक व्यापार पाबंदियां लगायी जाएं, ताकि आयातित कृषि उत्पादों से बाजार पाटे जाने और अनाप-शनाप निर्यात, दोनों को ही रोका जा सके, जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा को खतरे में डालते हैं।
- माल बोर्डों को पुनर्जीवित करना ताकि व्यापारिक फसलों के लिए आधार मूल्य तय किया जा सके।
- कृषि क्षेत्र को, एक न्यूनतम ब्याज दर पर, सस्ते संस्थागत ऋण मुहैया कराना।
- ग्रामीण इलाकों में बिजली की आपूर्ति में सार्वजनिक निवेश बढ़ाना तथा बिजली का निजीकरण रोकना। खेती के लिए मुसलसल सप्लाई सुनिश्चित करना। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करना।

- ग्रामीण क्षेत्र में बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराना तथा ग्रामीण बुनियादी ढ़ाचे में सुधार लाना।
- उर्वरकों में पोषक-आधारित सब्सीडी व्यवस्था को रद्द करना। बीज कानून को निरस्त करना और किसान हितैषी बीज कानून लाना।
- मॉडल एपीएमसी (मंडी) कानून को निरस्त करना, जो ठेका-खेती की वकालत करता है। कृषि मंडियों में किसान हितैषी सुधार करना।
- असमानतापूर्ण विदेश व्यापार समझौतों से बाज आना। सभी व्यापार वार्ताओं को राष्ट्रीय आर्थिक संप्रभुता की बुनियाद पर खड़ा करना और उन्हें संसदीय जांच-परख के दायरे में लाना।
- बौद्धिक संपदा निजाम में, बड़े कारोबारियों के हक में जो बदलाव किए गए हैं, उन्हें पलटना। जैव-विविधता के पहलू के लिहाज से, निजी कृषि शोध पर कड़ाई से नियमन सुनिश्चित करना।

जमीन संबंधी मुद्दे

सी पी आइ (एम) निम्नलिखित करेगी:

- 2013 के भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजे तथा पारदर्शिता व पुनर्वास तथा पुनर्वसन कानून में संशोधन, ताकि भूमि अधिग्रहण का तकाजा करने वाले सभी कानूनों पर उनका सार्वभौम व्यवहार, सार्वजनिक उद्देश्य का कड़ाई से परिभाषित किया जाना, सभी प्रभावित व्यक्तियों की जानकारी पर आधारित पूर्ण व पूर्व-सहमति, बाध्यकारी सामाजिक प्रभाव आकलन व क्षतिपूर्ति और इस प्रकार से पुनर्वास व पुनर्वसन सुनिश्चित किए जाएं, जो उनके लिए एक बेहतर जिंदगी तथा भूमि के बढ़े हुए मूल्य में उनका हिस्सा सुनिश्चित करे।
- सभी बेदखल हुए तथा विस्थापित काश्तकारों की समुचित रूप से क्षतिपूर्ति करने के लिए, उपयुक्त नीतियां बनायी जाएं।
- भूमि हदबंदी कानूनों को कमजोर करने के मौजूदा दबाव को पलटा जाए। भूमि सुधार लागू करने के लिए त्वरित तथा चौतरफा कदम उठाए जाएं।
- गोचर की जमीन, सामुदायिक वन, गुल्म भूमि आदि, शामलात की जमीनों पर अतिक्रमण तथा उनके अधिग्रहण को रोका जाए।
- सार्वजनिक न्यास के रूप में लेते हुए सभी सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की जमीनों को, पट्टे के जरिए, बिक्री के जरिए, हस्तांतरण या किसी अन्य तरीके से तबादले से, निजी क्षेत्र को सौंपे जाने से बचाया जाए।

- भूमिहीन तथा गरीब किसान परिवारों के हक में और बिना कोई कीमत लिए, हदबंदी से फालतू सभी जमीनों का अधिग्रहण तथा वितरण किया जाए तथा उन्हें काश्त लायक परती जमीनें सौंपी जाएं। इसमें अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों को प्राथमिकता दी जाए। परिवार में स्त्री-पुरुष के संयुक्त नाम से पट्टे दिए जाएं और जमीन पर महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया जाए।
- ग्रामीण व शहरी भूमिहीनों के सभी तबकों को आवास के लिए प्लाट तथा घर बनाने को जमीन दी जाए।
- जिन राज्यों में भी ऐसा नहीं किया गया है, बंटाईदारी को दर्ज किया जाए और बंटाईदारों के अधिकारों की हिफाजत की जाए।
- अचल संपत्ति सट्टाबाजार के लिए जमीन हड़पे जाने को रोका जाए।

खाद्य सुरक्षा के लिए

एक भूख-मुक्त भारत की ओर बढ़ने के लिए सी पी आइ (एम) निम्नलिखित के लिए काम करेगी:

- वर्तमान टार्गेटेड प्रणाली का खात्मा और एक सुधरी हुई तथा मजबूत की हुई, सार्वभौम सार्वजनिक वितरण प्रणाली की स्थापना, जिससे आयकरदाताओं को बाहर रखा जाए। इसे आधार से हर्गिज न जोड़ा जाए।
- ज्यादा से ज्यादा 2 रु0 प्रति किलोग्राम मी दर से, प्रति परिवार 35 किलोग्राम या प्रतिव्यक्ति 7 किलोग्राम अनाज, दोनों में जो भी अधिक हो।
- इस क्षेत्र में राज्य सरकारों की पहलों की मदद की जाए।
- खाद्यान्नों के साथ ही साथ, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए नियंत्रित कीमतों पर दालों, खाने-पकाने का तेल, चीनी, मिट्टी का तेल आदि, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जाए।
- आइसीडीएस तथा दोपहर का भोजन योजनाओं के जरिए, खाद्य आपूर्ति के लिए कहीं ज्यादा आवंटन किया जाए, ताकि उनके तहत गर्म, पका हुआ, पोषक आहार सुनिश्चित किया जा सके। इन्हें एक कानूनी अधिकार के रूप में, खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत लाया जाए।
- गर्भवती महिलाओं के लिए 6,000 रु0 के खाद्य सुरक्षा भत्ते को, बिना किन्हीं शर्तों के लागू किया जाए।
- आबादी के कमजोर तबकों जैसे प्रवासी मजदूरों, अनाथों, विधावाओं, विकलांगों के लिए, मुफ्त लंगर चलाने जैसे विशेष उपाय किए जाएं।

- देश के दूर-दराज के तथा पर्वतीय इलाकों में राशनिंग व्यवस्था को मजबूत किया जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन इलाकों में रहने वाले आदिवासियों तथा अन्य कमजोर तबकों को, खाद्य सुरक्षा तक आसानी से पहुंच हासिल हो सके।
- हर साल रसोई गैस के 12 सिलेंडर, सस्ती (सब्सीडाइज्ड) दरों पर मुहैया कराए जाएं और इसे आधार से किसी भी तरह से नहीं जोड़ा जाए।
- खाद्यान्न के वितरण की जगह नकदी हस्तांतरण की व्यवस्थ हर्गिज नहीं लायी जाए।

महंगाई पर अंकुश लगे

आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी पर अंकुश लगाने के लिए सी पी आइ (एम) कई कदमों का प्रस्ताव करती है। इनमें निम्नलिखित कदम शामिल हैं:

- पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्य तय करने की नियंत्रण-मुक्त व्यवस्था को पलटा जाए और प्रशासित मूल्य नियंत्रण व्यवस्था स्थापित की जाए।
- पैट्रोलियम उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क तथा तटकर में कमी की जाए।
- प्राकृतिक गैस की कीमतों पर और सब्सीडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत पर, नियंत्रण रखा जाए।
- कृषि मालों के मामले में वायदा कारोबार पर प्रतिबंध लगाया जाए, जैसी कि संसदीय समिति ने सिफारिश की थी।
- आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी तथा कालाबाजारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और आवश्यक वस्तु कानून के प्रावधानों को मजबूत किया जाए।
- गोदामों तथा भंडारगृहों में रखे जा रहे खाद्यान्न के निजी स्टॉकों के लिए, जानकारी उजागर करने संबंधी नियम-कायदों को मजबूत किया जाए।
- सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को मजबूत किया जाए और सरकारी सुरक्षित खाद्यान्न भंडारों का, बाजार में बढ़ती कीमतों की काट करने वाले एक उपाय के तौर पर चतुराई से इस्तेमाल किया जाए।
- जब कीमतें ज्यादा हों तथा बढ़ रही हों, खाद्यान्नों के निर्यात पर अंकुश लगाया जाए।
- आवश्यक दवाओं की कीमतों पर नियंत्रण सुनिश्चित किया जाए।

विदेश नीति

सी पी आइ (एम) निम्नलिखित के लिए काम करेगी:

- एक स्वतंत्र व गुटनिरपेक्ष विदेश नीति, जो बहुध्रुवीयता को बढ़ावा दे। ब्रिक्स,

शांघाई सहयोग संगठन तथा आइबीएसए को मजबूत किया जाए। सार्क को फिर से सक्रिय किया जाए और अपने एकदम पड़ौस के देशों के साथ रिश्तों को मजबूत किया जाए।

- देशों के बीच के सभी विवादों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे बहुपक्षीय मंचों को मजबूत किया जाए। सुरक्षा परिषद का तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे का जनतांत्रीकरण किया जाए।
- दूसरे देशों में अमरीका के हस्तक्षेपों का और उसके द्वारा थोपे जा रहे सत्ता बदलों का, जैसाकि इस समय वेनेजुएला में तथा लातीनी अमरीका के अन्य कई देशों में हो रहा है, विरोध करना।
- पश्चिम एशिया तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया के साथ रिश्ते मजबूत करना और कम्युनिटी ऑफ लैटिन अमेरिकन एंड कैरीबियन कंट्रीज़ (सीईएलएसी) के साथ रिश्ते मजबूत करना।
- पाकिस्तान के साथ संवाद दोबारा शुरू करना ताकि सीमा पार से आतंकवाद समेत सभी अटके पड़े मुद्दों को हल किया जा सके। भारत और पाकिस्तान के बीच, जनता के स्तर पर के रिश्तों को बढ़ाना।
- बांग्लादेश के साथ संबंधों व रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास और तीस्ता जल संधि का निपटारा।
- अब भी देश-विहीन बने हुए रोहिंगियाओं की चिंताओं को संबोधित करना।
- श्रीलंका के उत्तरी तथा पूर्वी क्षेत्र के हक में शक्तियों के वितरण के लिए श्रीलंका की सरकार संवाद रखना, ताकि तमिलभाषी जनता को एकजुट श्रीलंका के दायरे में स्वायत्तता हासिल हो सके। श्रीलंका के (गृह) युद्ध के आखिरी चरण में हुए अत्याचारों की एक स्वतंत्र, भरोसेमंद जांच के लिए प्रयासों को आगे बढ़ाना।
- विदेश नीति में इस्राइलपरस्त झुकाव को पलटना।

सुरक्षा मामले

सी पी आइ (एम) निम्नलिखित के पक्ष में है:

- मौजूदा सरकार द्वारा अमरीका के साथ किए गए विभिन्न सुरक्षा समझौतों, जैसे एलईएमओए तथा सीओएमसीएएसए आदि, को संशोधित किया जाए। अमरीका के साथ रक्षा रूपरेखा समझौते से हटा जाए। अमरीका के साथ सैन्य गठजोड़ के और समझौतों की दिशा में कदमों को रोका जाए। इस नीति को आगे बढ़ाना कि दक्षिण एशिया में कोई विदेशी सैन्य अड्डे नहीं होने चाहिए।

- भारत–अमरीका नाभिकीय समझौते को संशोधित करना। विदेशी नाभिकीय रिएक्टरों के आयात पर रोक लगाना। घरेलू यूरेनियम तथा थोरियम भंडारों के आधार पर, असैनिक नाभिकीय ऊर्जा के विकास में आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना।
- संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से सार्वभौम नाभिकीय निरस्त्रीकरण को आगे बढ़ाना। नाभिकीय परीक्षणों पर रोक को संसदीय अनुमोदन दिलाना। दक्षिण एशिया में एक गैर–नाभिकीयकृत वातावरण बनाने के लिए काम करना। हिंद महासगर में डिएगो गार्सिया के अमरीकी फौजी अड्डे से नाभिकीय हथियार हटवाने के लिए काम करना।
- घरेलू सामर्थ्यों का निर्माण कर, भारतीय इंटरनैट तथा दूरसंचार ताने–बानों की, साइबर हमलों तथा दूसरों द्वार जासूसी से हिफाजत करना।
- एक राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र का निर्माण करना, जो संसदीय जनतांत्रिक व्यवस्था के दायरे में काम करेगा।
- विभिन्न खुफिया एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाना और विश्वसनीय खुफिया जानकारियों पर समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करना ताकि लोगों की जिंदगियों को बचाया जा सके।
- सरकारी स्वामित्व में प्रतिरक्षा उद्योग का विस्तार करने, विकास करने तथा उसे मजबूत करने के जरिए और उसमें क्षमताओं का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के जरिए, रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना।
- रक्षा उपकरणों व शस्त्रों की खरीदी में, पारदर्शिता तथा जवाबदेही की व्यवस्था सुनिश्चित करना। रफाल सौदे जैसे भ्रष्टाचार के घोटालों के मामले में, तेजी से जांच कराना तथा सजा दिलाना।

जम्मू–कश्मीर

सी पी आइ (एम) निम्नलिखित के लिए प्रतिबद्ध है:

- संविधान की धारा–370 के पूरे दायरे के आधार पर, राज्य को अधिकतम स्वायत्तता देने को आधार बनाकर, कश्मीर समस्या का राजनीतिक समाधान निकालना। जम्मू, कश्मीर तथा लद्दाख क्षेत्रों को स्वायत्तता देकर, एक स्वायत्त तंत्र का निर्माण। संविधान की धारा–35ए को हटाने या उसकी समीक्षा करने की तमाम कोशिशों का विरोध।
- सभी संबद्ध पक्षों के साथ संवाद/ बातचीत के जरिए एक राजनीतिक प्रक्रिया की फौरन शुरूआत करना।
- निर्दोष नागरिकों के खिलाफ सुरक्षा बलों की ज्यादतियां रोकने के लिए कड़े कदम उठाना। प्रदर्शनकारियों के खिलाफ छर्रे वाली बंदूकों तथा अन्य घातक हथियारों के

इस्तेमाल पर पाबंदी लगाना।

- समाज के सभी हिस्सों से बातचीत करने तथा उनकी जायज शिकायतों पर कार्रवाई करने के जरिए, कश्मीर में विश्वास निर्माण के कदम शुरू करना।
- अफस्पा का पूरी तरह से हटाया जाना।

उत्तर-पूर्व

सी पी आइ (एम) निम्नलिखित के लिए वचनबद्ध है:

- धर्म को नागरिकता देने का आधार बनाने वाले, नागरिकता संशोधन विधेयक को निरस्त करना।
- सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के अनुरूप, असम में एनआरसी की प्रक्रिया फौरन पूरी करना। कोई भी भारतीय छूटना नहीं चाहिए।
- उत्तर-पूर्व को विकास के लिए एक प्राथमिकतापूर्ण क्षेत्र घोषित किया जाए। यहां भौतिक बुनियादी ढांचे का विकास किया जाए और युवाओं के लिए विशेष रोजगार योजनाएं बनायी जाएं। सीमा पर बाड़ लगाने का काम तेजी से पूरा किया जाए।
- छठी अनुसूची के अंतर्गत प्रशासनिक तथा वित्तीय शक्तियों की रक्षा की जाए तथा उनका विस्तार किया जाए। विभिन्न इथनिक ग्रुपों व जातीयतों की पहचान की हिफाजत की जाए।

मेहनतकश अवाम के अधिकारों के हक में

मजदूर वर्ग

सी पी आइ (एम) इसके हक में है कि

- यह सुनिश्चित किया जाए कि मजदूरों का कानूनी न्यूनतम वेतन 18,000 रु0 से कम न हो ; न्यूनतम वेतन को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाए; वेतन का निर्धारण 15वें भारतीय श्रम सम्मेलन (आइ एल सी) की सिफारिशों के आधार पर किया जाए।
- तमाम केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के मजदूरों की सावधि वेतन बढ़ोतरी, वहनीयता की किसी शर्त पर जोर दिए बिना की जाए; 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से संबंधित केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मुद्दों का फौरन समाधान हो।
- श्रम कानूनों में किए गए तमाम मजदूरविरोधी और मालिकानपरस्त संशोधनों को निरस्त किया जाए। अंतर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों संबंधी कानून समेत तमाम श्रम कानूनों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए; श्रम विभागों और श्रम/ फैक्टरी निरीक्षकों समेत कायदे-कानून लागू करनेवाली एजेंसियों को समुचित श्रम शक्ति

तथा सुविधाओं के साथ मजबूत बनाया जाए। तमाम औद्योगिक पंचाटों (ट्रिब्यूनलों) और श्रम न्यायालयों में न्यायाधीशों और मददकारी स्टाफ के खाली पड़े पदों को भरा जाए।

- असंगठित क्षेत्र के मजदूरों संबंधी कानूनों में सुधार किया जाए और इस सिलसिले में श्रम संबंधी स्थायी समिति की सिफारिशों को लागू किया जाए; प्रवासी मजदूरों तथा बागान मजदूरों लिए सामाजिक सुरक्षा के विशेष कदम उठाए जाएं तथा इसके लिए संबंधित कानून में संशोधन कर, अनमनीय औद्योगिक तथा पेशागत श्रेणीकरण से हटकर, सभी मजदूरों को सिंगल विंडो पहुंच मुहैया करायी जाए; समुचित बजटीय वित्तीय आवंटनों के साथ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए राष्ट्रीय फंड गठित किया जाए; गरीबी की रेखा के मानकों से ऊपर उठकर तमाम असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को बुढ़ापा पेंशन, मातृत्व लाभ तथा बच्चों की देखभाल के लाभों समेत स्वास्थ्य, दुर्घटना तथा जीवन बीमा समेत न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ सार्वभौम कवरेज दी जाए ; खेतमजदूरों समेत तमाम मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा तथा काम की स्थितियों को कवर करते हुए एक सर्वसमावेशी कानून बनाया जाए।
- ''नयी पेंशन योजना'' तथा पीएफआरडीए कानून को निरस्त किया जाए और उनकी जगह पर, मालिकान व सरकार द्वारा पर्याप्त फंडिंग के बल पर, सभी मजदूरों/कर्मचारियों के लिए, एक लाभ–परिभाषित पेंशन योजना लागू की जाए, जो सूचकांकन के साथ अंतिम वेतन के कम से कम 50 फीसद के बराबर पेंशन सुनिश्चित करे।
- मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक को वापस लिया जाए और असंगठित क्षेत्र के परिवहन मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया करायी जाए।
- गुप्त मतदान के जरिए ट्रेड यूनियनों की मान्यता सुनिश्चित की जाए और ट्रेड यूनियन अधिकारों की रक्षा की जाए ; तमाम संस्थानों में कानून के जरिए यूनियन की मान्यता को आवश्यक बनाया जाए; एसोसिएशन की स्वतंत्रता तथा सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार से संबंधित आइ एल ओ की 87 वीं तथा 98वीं कन्वेंशन का आइ एल ओ की ही घरेलू मजदूरों से संबंधित 189वीं कन्वेंशन के साथ अनुमोदन किया जाए।
- सार्वजनिक तथा निजी दोनों ही क्षेत्रों में प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी के लिए एक प्रभावी योजना अपनायी जाए; द्विपक्षीयता तथा त्रिपक्षीयता को मजबूत बनाया जाए; ट्रेड यूनियनों के साथ विचार विमर्श के जरिए सहमति हुए बिना श्रम से संबंधित किसी भी मुद्दे पर कोई निर्णय न लिया जाए; मजदूरों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित, अर्थपूर्ण सामाजिक संवाद सुनिश्चित किया जाए।

- काम के ठेकाकरण तथा अस्थायीकरण को हतोत्साहित करना; ठेका श्रम (नियमन तथा उन्मूलन) का कड़ाई से क्रियान्वयन; एक ही तरह का तथा समान काम करने के लिए ठेका मजदूरों को नियमित मजदूरों के समान वेतन तथा लाभ देना; स्थायी किस्म के कामों की आऊटसोर्सिंग तथा ठेकाकरण रोकना; ''तय अवधि रोजगार'' को, जो कि आइएलओ की सिफारिश 204 की भावना का उल्लंघन है, जिसका भारत ने अनुमोदन किया हुआ है, फौरन खत्म करना; ठेका मजदूरों तथा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के यूनियनों का गठन करने, ट्रेड यूनियनों की पूर्ण सदस्यता तथा उनमें मत देने के अधिकारों और यूनियनों में संगठित होने तथा हड़ताल करने के मौलिक अधिकार की रक्षा करना। मजदूर कल्याण बोर्डों को मजबूत बनाना।
- काम के तमाम क्षेत्रों में महिला मजदूरों के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना; असंगठित क्षेत्र में महिला मजदूरों के लिए, जिनमें घरों में ही रह कर काम करनेवाली मजदूर भी शामिल हैं, मातृत्व लाभ, पेंशन तथा स्वास्थ्य बीमा समेत सामाजिक सुरक्षा कदमों को लागू करना।
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न कानून का सख्ती से पालन करना।
- 26 सप्ताह के सवैतनिक मातृत्व अवकाश और महिला मजदूरों के लिए मातृत्व लाभ तथा पलनाघर की सुविधाओं को लागू करना ; आंगनवाड़ी मजदूरों तथा सहायकों, आशाकर्मियों तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्यरत अन्य लोगों, मिड डे मील कर्मियों और पैरा शिक्षकों समेत केंद्र तथा राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं में कार्यरत तमाम मजदूरों को कानूनी न्यूनतम वेतन तथा पेंशन जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ समेत तमाम लाभों के साथ मजदूरों के रूप में मान्यता देना और उनके ट्रेड यूनियन अधिकार सुनिश्चित करना।
- मजदूरों के कल्याण के लिए गठित तमाम कल्याणकारी बोर्डों में मजदूरों की सक्रिय तथा प्रभावी भागीदारी। इन बोर्डों के कामकाज को और मजबूत बनाया जाए ताकि बोर्ड में मजदूरों का पंजीकरण हो सके और कल्याणकारी लाभों तक उनकी आसान पहुंच हो सके।

किसान जनता

सी पी आइ (एम) इसके हक में है कि

- किसानों से संबंधित राष्ट्रीय आयोग की किसानपरस्त सिफारिशों का क्रियान्वयन हो ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कृषि एक लाभकारी व्यवसाय बने।
- तमाम फसलों तथा लागतों को कवर करते हुए फसल की स्थिर तथा लाभकारी कीमतें सुनिश्चित हों; पारिवारिक श्रम, जमीन का भाड़ा आदि समेत पूरी लागतों को

कवर करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए और लागतों से कम से कम 50 फीसद ज्यादा (सी 2 +50) कीमत मिले।

- खरीद सुविधाओं का विस्तार करने के जरिए तमाम क्षेत्रों में तमाम फसलों की वक्त से तथा समुचित खरीद का भरोसा दिया जाए।
- संस्थागत या महाजनों से लिए गए निजी ऋण दोनों को कवर करते हुए बदहाल किसानों के लिए सर्वसमावेशी ऋण राहत तथा कर्ज माफी सुनिश्चित की जाए।
- भाड़े पर जमीन लेकर खेती करनेवाले तथा बंटाईदार किसानों समेत, तमाम किसानों को कवर करते हुए, फसलों तथा पशुओं के लिए हर तरह के जोखिम को कवर करते हुए, छोटे तथा सीमांत किसानों के लिए अतिरिक्त सब्सीडियों के साथ, एक समुचित तथा सर्वसमावेशी फसल बीमा योजना शुरू की जाए।
- समय पर और भरोसेमंद ढ़ंग से तमाम खेतिहरों के लिए वहनीय कीमतों पर उच्च गुणवत्तावाली लागत सामग्रियों का प्रावधान सुनिश्चित किया जाए।
- परंपरागत बीजों तथा जैवविविधता और साथ ही साथ तमाम बीजों को बचाने तथा उनका पुन: इस्तेमाल करने के किसानों के अधिकार की, रक्षा की जाए।
- जल संसाधनों के दीर्घकालिक प्रबंधन के साथ मृदा सुधार तथा भराई का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया जाए।
- मनरेगा के तहत छोटे तथा सीमांत किसानों के लिए श्रम सब्सीडी दी जाए।

खेतमजदूर

सी पी आइ (एम) इसके हक में है कि

- खेतमजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी बढ़ाकर 600 रु0 प्रतिदिन की जाए; महिला खेतमजदूरों के लिए समान मजदूरी सुनिश्चित की जाए।
- न्यूनतम वेतन कानून को प्रभावी ढ़ंग से तथा कड़ाई से लागू करने के लिए नियमनकारी तथा क्रियान्वयनकारी व्यवस्था में सुधार किया जाए।
- मनरेगा में 100 दिन काम की सीमा को हटाया जाए; इतनी न्यूनतम मजदूरी तय की जाए कि वह राज्य के न्यूनतम वेतन से कम न हो; जब मजदूरों को काम न मिले तब मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता देना सुनिश्चित किया जाए।
- न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने के लिए खेतमजदूरों के लिए एक अलग तथा सर्वसमावेशी कानून बनाया जाए; सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार दिया जाए और केंद्रीय फंडिंग के साथ पेंशन, दुर्घटना के लिए मुआवजा जैसे सुरक्षा लाभों के कदम

लागू किए जाएं।

- खेतमजदूरों के लिए भूमि का मुफ्त पुनर्वितरण हो; तमाम ग्रामीण परिवारों को रिहाइश की जमीन मुहैया करायी जाए; तमाम ग्रामीण मजदूरों के लिए ग्रामीण आवासों का निर्माण किया जाए।
- भूमि अधिग्रहण तथा विस्थापन के तमाम मामलों में कृषि मजदूरों के अधिकारों को ऐसे प्रभावित व्यक्तियों के अधिकारों के रूप में मान्यता दी जाए जो पूर्ण मुआवजे तथा पुनर्वास के अधिकारी हैं।
- एंडोसल्फान जैसे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जहरीले कीटनाशकों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया जाए और उनके कुप्रभाव से पीड़ित खेतमजदूरों के लिए मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया जाए।
- दलित तथा आदिवासी मजदूरों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाए और दलित तथा आदिवासी बस्तियों का विकास सुनिश्चित किया जाए।
- प्रवासी मजदूरों की रक्षा के लिए पूरे भारत में मान्यता रखने वाले सिंगल विंडो सिस्टम वाले, विकेंद्रीकृत त्रिपक्षीय बोर्डों के जरिए, तमाम खेतमजदूरों के लिए पूर्ण तथा सार्वभौम सामाजिक सुरक्षा मुहैया करायी जाए।

मछलीपालन मजदूर

- मछलीपालन मजदूरों के लिए विशेष कल्याणकारी बोर्ड की स्थापना की जाए और उन्हें पहचान पत्र तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाएं मुहैया करायी जाएं।
- विदेशी ट्रॉलरों पर और विशाल ट्रॉलरों द्वारा अपनाये जानेवाले मछलियां पकड़ने के विनाशकारी तौर-तरीकों पर प्रतिबंध लगाया जाए।
- सी आर जैड अधिसूचना 2018 को वापस लिया जाए, जिसमें और ज्यादा तटीय क्षेत्रों में पर्यटन, होटल तथा उद्योग आदि चलाने की इजाजत दी गयी है और समुद्री तटों से संबंधित मछुआरों के अधिकारों से उन्हें वंचित करके, तटों को रीयल एस्टेट शार्कों के हवाले कर दिया गया है।

समान अधिकारों तथा सामाजिक न्याय के लिए

महिलाएं

सी पी आइ (एम) इसके हक में है कि

- संसद तथा राज्य विधान सभाओं की एक तिहाई सीटों को फौरन महिलाओं के लिए आरक्षित करने के लिए 33 फीसद महिला आरक्षण विधेयक को पारित किया जाए।

- तीन तलाक को अपराध ठहरानेवाले अध्यादेश को निरस्त किया जाए।

  श्रम तथा यौन शोषण के लिए महिलाओं और बच्चों की खरीद-फरोख्त को रोकने के लिए एक सर्वसमावेशी कानून बनाया जाए।

- तमाम महिलाओं के लिए वैवाहिक तथा पैतृक संपत्ति में बराबर अधिकारों के लिए एक सर्वसमावेशी कानून बनाया जाए; महिलाओं तथा बच्चों के भरण-पोषण से संबंधित कानूनों को मजबूत बनाया जाए; तुरंता तलाक की पीड़िताओं समेत तमाम परित्यक्ताओं की सुरक्षा तथा समुचित भरण-पोषण एवं पुनर्वास सुनिश्चित किया जाए।

- महिलाओं तथा बच्चों के खिलाफ हिंसा में आयी भयावह बढ़ोतरी को रोकने, उस पर अंकुश लगाने और इस हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को दंडित करने के लिए कदमों की एक पूरी श्रंखला लागू की जाए।

  इनमें शामिल हैं:

- वर्मा कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार करना, जिन्हें मौजूदा संशोधित कानून में छोड़ दिया गया है; लैंगिक समानता से संबंधित विषयों को शामिल करते हुए शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में बदलाव किया जाए; सार्वजनिक स्थलों को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के लिए कदम उठाए जाएं; विकलांग महिलाओं के लिए तमाम सार्वजनिक स्थलों तक सुरक्षित पहुंच सुनिश्चित की जाए; अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के खिलाफ जाति आधारित अपराधों के लिए दंड में इजाफा किया जाए; पुलिसकर्मियों समेत मुकदमों में पलीता लगानेवाले या उनमें देरी करनेवाले लोगों, चाहे वे कोई भी हों, पर जुर्माने लगाए जाएं; फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित की जाएं; वैवाहिक बलात्कार को अपराध बनाया जाए, भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए की सुरक्षा की जाए; यौन हिंसा और तेजाबी हमलों के पीड़ितों और खासतौर से यौन हिंसा के शिकार होनेवाले बच्चों की एक पूर्ण रूप से फंडेड पुनर्वास योजना के जरिए मदद की जाए; घरेलू हिंसा के खिलाफ तथा यौन उत्पीड़न के खिलाफ कानूनों के क्रियान्वयन के लिए समुचित बजटीय आवंटन किया जाए। पीसीपीएनडीटी कानून (लिंग निर्धारण परीक्षण और कन्या भ्रूण हत्या विरोधी कानून) को कड़ाई से लागू किया जाए और निष्क्रिय पड़ी निगरानी कमेटियों को सक्रिय किया जाए।

- निम्नलिखित नए कानून बनाए जाएं: तथाकथित इज्जत के लिए होनेवाले अपराधों के खिलाफ विशेष कानून बनाया जाए; महिलाओं तथा बच्चों की खरीद-फरोख्त के खिलाफ एक कानून बनाया जाए; परित्याक्ताओं को भत्ता देने के लिए त्रिपुरा की

पूर्ववर्ती वाम मोर्चा सरकार ने जो एक योजना शुरू की थी, वैसी ही एक योजना समेत महिलाओं तथा बच्चों के जीवनयापन खर्च के लिए कानून को मजबूत बनाया जाए; विधवाओं तथा परिवारों की महिला मुखियाओं समेत एकल महिलाओं के लिए विशेष योजनाएं बनायी जाएं; स्व-सहायता ग्रुपों (एसएचजी) और बैंकिंग संस्थानों के बीच संपर्क सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाया जाए और सब्सीडीयाफ्ता ब्याज दरों की गारंटी की जाए और यह ब्याज 4 फीसद से ज्यादा न हो; अनुसूचित जातियों/ जनजातियों की महिलाओं के स्व-सहायता ग्रुपों के लिए विशेष रियायतें दी जाएं; घरेलू मजदूरों तथा घरों से काम करनेवाले मजदूरों के लिए संरक्षणात्मक कानून बनाया जाए।

- महिलाओं के लिए अपमानजनक यौनिक तथा कुतर्की भाषा के खिलाफ, विभिन्न क्षेत्रों में तमाम चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए आचार संहिता बनायी जाए, ताकि वे महिलाओं के बारे में सार्वजनिक टिप्पणियों तथा विमर्श में गरिमापूर्ण मानकों पर कायम रहें।
- तमाम जेंडर बजटिंग में महिलाओं के लिए आवंटन, मौजूदा 30 फीसद के दावों से बढ़ाकर कम से कम 40 फीसद किया जाए।

बच्चे

सी पी आइ (एम) दृढ़ता के साथ बच्चों के अधिकारों की हिमायत करती है और उनके लिए काम करेगी। सी पी आइ (एम) इसके लिए प्रतिबद्ध है कि

- शून्य से 6 वर्ष की आयु तक के तमाम बच्चों को कवर करने के लिए आइसीडीएस का सार्वभौमीकरण हो। आइसीडीएस के निजीकरण की दिशा में उठाए गए तमाम कदमों को पलटा जाए; आंगनवाड़ियों तथा स्कूलों में पोषणकारी भोजन सुनिश्चित करने के लिए प्रति बच्चा और ज्यादा आवंटन किया जाए और आंगनवाड़ियों में पालनाघरों की सुविधाओं का प्रावधान किया जाए।
- 3 से 18 वर्ष की आयु के तमाम बच्चों को शामिल करते हुए शिक्षा के अधिकार कानून का विस्तार किया जाए। विकलांग बच्चों को शामिल करने के लिए विशेष प्रावधान किए जाएं।
- हर जिले में बच्चों के मित्रवत खेल के मैदानों का समुचित संख्या में प्रावधान किया जाए ताकि वे आऊटडोर खेल, खेल सकें।
- बाल श्रम के तमाम रूपों पर प्रतिबंध लगाने के लिए खतरनाक तथा गैर-खतरनाक के बीच फर्क को हटाने के लिए और तमाम कामकाजी बच्चों के पुनर्वास के लिए, अतिरिक्त आवंटनों के साथ योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए,

बाल श्रम (प्रतिबंध तथा नियमन कानून) में संशोधन किए जाएं।

- अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बच्चों के लिए आधुनिक सुविधाओं के साथ आवासीय स्कूलों तथा छात्रावासों की स्थापना के लिए, अतिरिक्त आवंटनों समेत विशेष कदमों के जरिए आदिवासी तथा दलित बच्चों और सामाजिक रूप से कमजोर ग्रुपों तथा समुदायों और अन्य के बीच कायम अंतर को कम करने के लिए विशेष कदम उठाए जाएं; किसी भी स्तर पर होनेवाले भेद-भाव के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।
- अनुपूरक पोषणकारी आहार, टीकाकरण, स्कूल-पूर्व की अनौपचारिक शिक्षा , नियमित स्वास्थ्य चेकअप और तुरंता रेफरल सेवाओं जैसी बुनियादी सेवाओं की पूरी कवरेज दी जाए।
- गुम होनेवाले बच्चों की तलाश के लिए, तलाश की स्थिति की सार्वजनिक रिर्पोटिंग सुनिश्चित करते हुए, प्रभावी कदम उठाए जाएं।
- यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण संबंधी कानून को कड़ाई से लागू किया जाए।
- लावारिस बच्चों के लिए आश्रयस्थलों तथा सामाजिक सेवाओं के प्रावधान किए जाएं।
- बाल न्याय व्यवस्था तथा संस्थानों में सुधार तथा आमूलचूल परिवर्तन लाना सुनिश्चित किया जाए ताकि उन्हें, इन बच्चों को जिम्मेदार नागरिकों के रूप में समाज में फिर से शामिल होने में मदद देने के लिए संवेदनशील बनाया जा सके।

युवा

सी पी आइ (एम) इसके लिए प्रतिबद्ध है कि

- संवैधानिक अधिकार के रूप में काम के अधिकार को शामिल किया जाए।
- रोजगार का प्रावधान हो या बेरोजगारी भत्ता दिया जाए।
- केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार की नौकरियों में भर्ती पर लगे प्रतिबंध को हटाया जाए। एक समयबद्ध फ्रेमवर्क के भीतर केंद्र तथा राज्य सरकारों के खाली पड़े तमाम पदों को भरा जाए।
- युवाओं की चिंताओं को संबोधित करने के लिए एक नयी राष्ट्रीय युवा नीति बनायी जाए।
- खेल-कूद की गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए और युवाओं के प्रशिक्षण की सुविधाओं के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों, दोनों द्वारा प्रायोजित स्पोर्ट्स मिशन स्थापित किए जाएं।

अनुसूचित जातियां तथा जनजातियां

सी पी आइ (एम) जाति व्यवस्था और हर तरह के जातिगत उत्पीड़न को खत्म करने के लिए दृढ़ता के साथ प्रतिबद्ध है।

स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, बेहतर जीवन स्थितियों तथा सुरक्षा के सार्वभौम अधिकार जैसे मौलिक मानवीय अधिकारों के तमाम क्षेत्रों में वह खासतौर से अतिरिक्त आवंटनों समेत अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों को आगे बढ़ाने के लिए विशेष कदमों को प्रोत्साहित करेगी।

सी पी आइ (एम) इसके हक में है कि

- अनुसूचित जातियों तथा आदिवासी उप-योजना के लिए विशेष कंपोनेंट प्लान के लिए एक केंद्रीय कानून बनाया जाए, जो क्रमश: अनुसूचित जातियों के लिए उनकी आबादी के बराबर राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर एससी प्लान के लिए और अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी आबादी के बराबर राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर एसटी प्लान के लिए, केंद्र तथा राज्य स्तर पर योजना खर्च मुहैया कराएगी। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रत्यक्ष लाभ के साथ योजना के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए एक स्थायी समिति की स्थापना की जाए।
- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति समुदायों के भूमिहीन परिवारों के लिए कृषि कार्य की खातिर 5 एकड़ कृषि योग्य जमीन का वितरण किया जाए।
- अनूसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को निजी क्षेत्र में आरक्षण मुहैया कराने के लिए एक केंद्रीय कानून बनाया जाए।
- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (उत्पीड़न निवारण) कानून 1989 तथा उत्पीड़न निवारण संशोधन कानून 2015 को लागू कराया जाए। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (उत्पीड़न निवारण) कानून 1989 की धारा 14 के अनुरूप हर जिले में आवश्यक विशेष अदालतों की स्थापना करने के लिए और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (उत्पीड़न निवारण कानून) को संविधान की नौंवीं अनुसूची के तहत लाने के लिए कदम उठाए जाएं।
- शैक्षणिक संस्थानों तथा काम की जगहों में जाति, धर्म तथा लैंगिक आधार पर होनेवाले भेदभाव को रोकने के लिए विशेष कानून बनाया जाए, जो दाखिलों में होनेवाले भेदभाव को रोकेगा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पंहुच को बढ़ाएगा और पेशागत कार्यस्थलों में भेदभाव रहित तरक्की सुनिश्चित करने के साथ ही साथ शिक्षा प्रक्रिया के अभिन्न हिस्से के तौर पर गुणवत्ता सुनिश्चित करेगा।

- सामाजिक–आर्थिक जाति आधारित जनगणना को फौरन प्रकाशित किया जाए।
- अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के तमाम छात्रों की, छात्रावासों तथा छात्रवृत्तियों तक सार्वभौम पंहुच बनायी जाए।

अनुसूचित जातियां

सी पी आइ (एम) इसके लिए प्रतिबद्ध है कि

- एक विशेष समयबद्ध भर्ती अभियान के जरिए आरक्षित सीटों तथा पदों में और पदोन्नतियों में तमाम बैकलॉग को भरा जाए; अनुसूचित जाति के युवाओं के लिए रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण सुविधाएं सृजित की जाएं; स्व–रोजगार में लगे सभी लोगों और अनुसूचित जाति के उद्यमों के लिए ऋण सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं और बाजार से संपर्क विकसित करने में मदद दी जाए।
- छुआछूत की प्रथाओं और अनुसूचित जातियों के खिलाफ होनेवाले उत्पीड़न तथा भेदभाव के लिए कड़ा और कठोर दंड दिया जाए।
- हाथों से मैला साफ करने को रोकने के लिए बने कानून के चोर दरवाजों को बंद करने के लिए कानून में संशोधन किया जाए और समुचित आवंटनों के साथ समयबद्ध पुनर्वास योजना लागू की जाए; हाथ से मैला साफ करने की अमानवीय प्रथा को खत्म करने के लिए कड़े कदम उठाए जाएं; सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मुताबिक उन लोगों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए जिनकी सीवर की सफाई के दौरान मौत हो गयी।
- सफाई सेवाओं में ठेका मजदूरों को नियमित किया जाए।
- जहां तक आवास तथा अन्य नागरिक सुविधाओं का सवाल है, अन्य समुदायों और अनुसूचित जातियों के बीच जो अंतर निरंतर बना हुआ है, उसको खत्म करने के लिए बजटीय आवंटनों के विशेष अभियान के साथ अनुसूचित जातियों के तमाम परिवारों तथा जिन बस्तियों में अनुसूचित जाति के लोग रहते हैं, उन बस्तियों के लिए आवास स्थल, आवास, साफ–सफाई, पानी, स्वास्थ्य तथा बिजली के कनैक्शन सुनिश्चित किए जाएं।
- दलित ईसाइयों तथा दलित मुसलमानों तक आरक्षण का विस्तार किया जाए।

अनुसूचित जनजातियां

सी पी आइ (एम) इसके पक्ष में है कि

- कानून से निर्देशित समय सीमा में, सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित तमाम पद भरे जाएं।

- आदिवासियों के भूमि अधिकारों की रक्षा की जाए और जिस भूमि से गैरकानूनी तरीके से उन्हें अलग कर दिया गया है, वह भूमि उन्हें लौटायी जाए। एल ए आर आर के संशोधनों को वापस लिया जाए जिसमें कारोबार को आसान बनाने के नाम पर भूमि अधिग्रहण के लिए आदिवासी समुदायों की सहमति के तमाम अधिकार खत्म कर दिए गए हैं।
- राष्ट्रीय वन नीति को वापस लिया जाए, जो वनों के निजीकरण की वकालत करती है और इस नीति की जगह आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करनेवाली समुचित नीति लायी जाए।
- वर्ष 2006 के अनुसूचित जनजाति तथा अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) कानून को पूर्णरूपेण लागू किया जाए; 1980 को कट-ऑफ-ईयर मानते हुए वनों के अन्य परंपरागत रहवासियों को शामिल करने के लिए कानून में संशोधन किया जाए; आदिवासियों की उनकी रिहाइश से कोई बेदखली न हो।
- वन संरक्षण तथा पर्यावरण से संबंधित नियमों के ऐसे तमाम संशोधनों और उन सरकारी सकुर्लरों को निरस्त किया जाए, जो ग्राम सभाओं के अधिकार क्षेत्र में आनेवाले क्षेत्रों के सिलसिले में निर्णयकारी प्रक्रियाओं में ग्राम सभाओं की भूमिका को हल्का बनाते हैं।
- पीईएसए तथा पांचवीं अनुसूची के तहत आनेवाले अधिकारों की रक्षा की जाए। आदिवासी भाषाओं तथा लिपियों को मान्यता देना, उन्हें संरक्षण देना और उन्हें विकसित करना सुनिश्चित किया जाए। भीली, गोंडी तथा काक बोरोक जैसी आदिवासी भाषाओं को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए; संबंधित राज्य सरकारों को आदिवासियों की भाषा को राज्य की सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देनी चाहिए।
- राज्य सरकारों को राज्य की घोषित अधिवासी सूची में आदिवासियों को, फिर चाहे वे एक राज्य से दूसरे राज्य में पलायन ही क्यों न कर गए हों, उनकी आदिवासी पहचान तथा अधिकारों के साथ, खुद ब खुद शामिल करना चाहिए।
- तमाम आदिवासियों को खाद्य सुरक्षा कानून के तहत लाया जाए, जिसके तहत सब्सीडी पर अनाज हासिल करने का उनका हक बनता है।
- आदिवासी छात्रों के लिए छात्रवृत्तियां बढ़ायी जाएं और तमाम आदिवासी छात्रावासों का समयबद्ध ऑडिट हो तथा सुविधाओं में सुधार किया जाए।

अल्पसंख्यक

सी पी आइ (एम) इसके पक्ष में है कि

- अल्पसंख्यक आयोग के अधिकारों तथा अधिकार क्षेत्र में इजाफे के साथ आयोग को एक वैधानिक निकाय बनाया जाए और उसके अध्यक्ष तथा सदस्यों का दर्जा बढ़ाया जाए। सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करने के लिए आदिवासी उप-योजना की तर्ज पर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए एक उप-योजना सूत्रबद्ध की जाए। सच्चर कमेटी रिपोर्ट के बाद जो अल्पसंख्यक क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, उसे बढ़ाया जाए और रोजगार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य के क्षेत्रों में समुचित संसाधन सुनिश्चित करने के लिए, उसमें संशोधन किया जाए और जिन जिलों में मुस्लिम आबादी का केंद्रीकरण है, उन जिलों को लक्ष्य करते हुए, विशेष पहलकदमियां की जानी चाहिए।
- ईसाइयों पर निरंतर जारी हमलों और पादरियों पर होनेवाले अत्याचारों को रोकने के लिए ''सांप्रदायिक हिंसा निवारण कानून'' और ''अल्पसंख्यक उत्पीड़न निवारण कानून'' बनाए जाएं।
- रंगनाथ मिश्र आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू किया जाए। फौरी कदम के तौर पर, तमाम अन्य पिछड़ा वर्ग के मुसलमानों को, जो कि मुस्लिम समुदाय का बहुमत हैं, ओबीसी कोटा में शामिल किया जाए और इसके लिए राज्यवार विशेष आवंटन किया जाए।
- प्राथमिकता क्षेत्र का 15 फीसद हिस्सा तय करते हुए, बैंकों को मुसलमानों को ऋण देने चाहिए और स्व-रोजगार में लगे मुस्लिम युवाओं के लिए सब्सीडी पर ऋण सुनिश्चित किए जाने चाहिए।
- मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाना चाहिए। मुस्लिम छात्राओं के लिए छात्रवृत्तियों तथा छात्रावास सुविधाओं में अच्छा-खासा इजाफा किया जाए।
- स्कूलों में उर्दू की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाना चाहिए; उर्दू में अच्छी गुणवत्तावाली पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित की जाएं और उर्दू शिक्षकों के खाली पड़े पदों को भरा जाए।
- आतंक के मुकदमों से बरी हुए तमाम मुसलमानों के लिए मुआवजा तथा पुनर्वास सुनिश्चित किए जाएं और उन्हें इन झूठे मुकदमों में फंसाने और उत्पीड़ित आदि करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के लिए दंड सुनिश्चित किया जाए। ऐसे तमाम मामलों की सुनवायी के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित की जाएं।
- भीड़ हिंसा के तमाम पीड़ितों को मुआवजा दिया जाए।

अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ बी सी)

- केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में 27 फीसद ओबीसी आरक्षण को समुचित रूप से लागू

करना सुनिश्चित किया जाए; ओबीसी आरक्षण को तमाम निजी शिक्षण संस्थाओं तक बढ़ाया जाए।

- पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग को मजबूत बनाया जाए।
- ओबीसी प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाया जाए।
- आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के रोजगार के लिए और उनकी गरीबी के उन्मूलन के लिए, जैसे अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए योजनाओं का पैकेज तैयार किया गया है उसी तर्ज पर, योजनाओं का एक सर्वसमावेशी पैकेज तैयार किया जाए।

ट्रांसजेंडर

- राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन्स बिल, 2014 को पारित कराने के जरिए, सभी ट्रांसजेंडरों के अधिकार स्थापित करना और मौजूदा ट्रांसजेंडर पर्सन्स बिल, 2018 में मौजूद खामियों को दूर करना।
- समलिंगी जोड़ों के लिए, 'सिविल यूनियन'/ 'समलिंगी साझेदारी' के रूप में, विवाह के समान मान्यता तथा संरक्षण। उनके लिए 1954 के स्पेशल मैरिज एक्ट की ही तरह के कानून, ताकि जोड़ीदार को दाय-भाग के लिए, तलाक की स्थिति में गुजारा राशि के लिए, आश्रित के रूप में अधिसूचित किया जा सके।
- एलजीबीटी को कवर करते हुए एक चौतरफा भेदभाव-रोधी विधेयक।
- शिक्षा संस्थाओं में आरक्षण। रोजगार में क्षैतिज आरक्षण सुनिश्चित करना।
- यह सुनिश्चि करना कि एलजीबीटी लोगों के साथ होने वाले अपराधों को, गैर-एलजीटीबी लोगों के साथ होने वाले अपराधों के समान ही माना जाए।
- शिक्षा संस्थाओं में भिन्न लैंगिक रुझान के तथा एलजीबीटी छात्रों, स्टॉफ के सदस्यों व शिक्षकों के साथ दाब-धौंस, हिंसा तथा उन्हें तंग किए जाने से निपटने के लिए कदम उठाए जाएं। यूजीसी की रैगिंग-विरोधी नीति के 2016 के संशोधन को लागू कराया जाए जो यौन-उन्मुखता तथा लैंगिक पहचान पर आधारित रैगिंग से निपटता है। ट्रांसजेंडर, इंटरसैक्स तथा भिन्न लैंगिक रुझान वाले छात्रों, स्टाफ तथा शिक्षकों के लिए पहुंचदार तथा सुरक्षित शौचालय सुनिश्चित करना।

विकलांग

सी पी आइ (एम) निम्नलिखित के पक्ष में है:

- विकलांग कानून तथा मानसिक स्वास्थ्य रक्षा कानून के प्रावधानों को लागू किया

जाए और इसके लिए पर्याप्त बजट आवंटन किए जाएं।

- संयुक्त राष्ट्र संघ की विकलांग व्यक्ति अधिकार कन्वेंशन के हिसाब से, देश के सभी कानूनों को संगति में लाया जाए।
- राष्ट्रीय विकलांगता नीति की समीक्षा की जाए तथा उसमें संशोधन किए जाएं।
- सार्टिफिकेशन की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। यूडीआइडी जारी करने की गति तेज की जाए।
- सभी सरकारी विभागों में खाली पदों के बैकलॉग को समयबद्ध तरीके से भरा जाए। विकलांगों की सामर्थ्यों को ध्यान में रखते हुए, रोजगार के नये अवसर पैदा किए जाएं।
- सभी इमारतों, सार्वजनिक स्थलों, परिवहन व सूचना आदि की प्रणालियों तथा अन्य क्षेत्रों को विकलांगों के लिए पूरी तरह से पहुंचनीय तथा बाधा-मुक्त बनाया जाए। संकेत भाषा इंटरप्रेटरों का प्रावधान किया जाए। टेलीविजन तथा अन्य प्रसारण मीडिया को, बधिरों/ ऊंचा सुनने वालों और दृष्टि-बाधितों के लिए पहुंचनीय बनाया जाए।
- विकलांगों के लिए एक गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया जाए। विकलांगता/ विकलांगों के प्रति दुर्व्यवहार के मामले में जीरो टॉलरेंस। विकलांग पेंशन बढ़ाकर कम से कम 6,000 रु0 करना और उसे मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ना। देखभाल करने वाले के लिए भत्ते का प्रावधान।
- सहारा देने वाले उपकरणों व सामग्री का मुफ्त प्रावधान। विकलांगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले सहारा देने वाले उपकरणों, अन्य सामग्री तथा वाहनों पर, इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ, शून्य जीएसटी।
- शिक्षा को हरेक स्तर पर समावेशी बनाना। स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं तथा पाठ्यक्रम को समावेशी बनाना। स्वास्थ्य सेवाओं को विकलांगों के लिए पहुंचनीय तथा मुफ्त बनाना।
- विकलांगों के लिए तमाम सहायताकारी उपकरणों तथा सुविधाओं के लिए सहायता को एमपीलैड्स के दायरे में लाना।
- 2016 के विकलांग अधिकार कानून के शिड्यूल में सूचीबद्ध विकलांगताओं के अनुरूप, सभी विकलांगों की समुचित गिनती।
- सरकारी फालतू जमीनों तथा हदबंदी से फालतू जमीनों के वितरण के सभी कार्यक्रमों में, ऐसे परिवारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए जिनमें कोई विकलांग व्यक्ति हो।

जन कल्याण के लिए

सी पी आइ (एम) निम्नलिखित के लिए काम करेगी:

- शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च जीडीपी के 6 फीसद के बराबर किया जाए।
- यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी वाइस चांसलर या शासन से सहायताप्राप्त संस्थाओं का कोई भी प्रमुख अधिकारी, धर्मनिरपेक्षताविरोधी विचारों का नहीं हो।
- विश्वविद्यालयों, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, भारतीय समाज विज्ञान शोध परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नेशनल काउंसिल फॉर एजूकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग आदि, सभी निकायों में सभी नियुक्तियां सिर्फ अकादमिक श्रेष्ठता तथा पेशेवराना दक्षता के ही आधार पर की जाएं। स्कूली पाठ्यक्रम के सांप्रदायीकरण से निपटने के लिए, विशेषज्ञों की एक समीक्षा कमेटी का गठन किया जाएगा।
- एक समान स्कूली शिक्षा प्रणाली की स्थापना की जाए। सरकारी स्कूलों को बंद करना तथा उनका विलय करना बंद किया जाए। केरल के मॉडल को आधार बनाकर, सरकारी स्कूलों का उन्नत बनाया जाए।
- मुफ्त तथा अनिवार्य एलीमेंटरी शिक्षा मुहैया कराने के लिए शिक्षा का अधिकार कानून का पालन। शिक्षा का अधिकार कानून में संशोधन कर पास-पड़ौस में स्कूल की व्यवस्था को संस्थागत रूप दिया जाए, उसका एलीमेंटरी स्तर से आगे तक विस्तार किया जाए तथा सभी पढ़ाई जारी रखने वाले छात्रों को मुफ्त शिक्षा मुहैया करायी जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि 2022 तक हरेक स्कूल शिक्षा का अधिकार कानून के अनुरूप हो जाए।
- सैकेंडरी शिक्षा का विस्तार किया जाए ताकि ड्राप आउटों को कम किया जा सके और सैकेंडरी शिक्षा को सार्वभौम बनाया जा सके। सर्व शिक्षा अभियान के स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता तथा बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया जाए और नियमों, टाइमिंग व अन्य पहलुओं से लचीलेपन की इजाजत दी जाए ताकि छात्राओं का तथा पिछड़े इलाकों में छात्राओं का और अन्यथा हाशिए पर पड़े समूहों का, पढ़ाई जारी रखना सुर्निश्चित किया जा सके।
- विश्वविद्यालयों तथा कालेज परिसरों में, यौन उत्पीड़न के खिलाफ जैंडर सेंसिटाइजेशन कमेटियों का गठन किया जाए।
- निजी शिक्षा संस्थाओं में फीस, दाखिलों तथा पाठ्यक्रम का नियमन करने के लिए कानून बनाया जाए।
- उच्च शिक्षा में कोई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नहीं आने दिया जाए।
- शिक्षा में हरेक स्तर पर प्रगतिशील व जनतांत्रिक पाठ्यक्रम व पाठ्यचर्या को इस तरह से सूत्रबद्ध किया जाए, जिसमें भारत की सामाजिक व सांस्कृतिक विविधता

को पहचाना जा रहा हो।

- इस समय कांट्रैक्ट पर या पैरा शिक्षकों के रूप में काम कर रहे शिक्षकों को नियमित किया जाए।
- सभी शिक्षा संस्थाओं में छात्रों, शिक्षकों तथा शिक्षणेतर कर्मचारियों के जनतांत्रिक अधिकार सुनिश्चित किया जाएं। सभी उच्च शिक्षा संस्थाओं में छात्र संघ के चुनाव अनिवार्य किए जाएं।
- उच्च शिक्षा संस्थाओं की स्वायत्तता पर हमले रोके जाएं।
- उच्च शिक्षा के लिए सार्वजनिक फंडिंग बढ़ायी जाए।

स्वास्थ्य

- केंद्र व राज्य, दोनों ही स्तरों पर समुचित कानून बनाकर, मुफ्त स्वास्थ्य रक्षा के अधिकार को एक न्यायिक रूप से लागू कराया जा सकने वाला अधिकार बनाया जाए।
- स्वास्थ्य पर सार्वजनिक खर्च को बढ़ाकर अल्पावधि में जीडीपी का कम से कम 3.5 फीसद और दीर्घावधि में 5 फीसद किया जाए। इसमें केंद्र से उल्लेखनीय रूप से बढ़ा हुआ आवंटन भी शामिल हो।
- सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत किया जाए, उसका विस्तार किया जाए तथा उसकी उन्मुखता में बदलाव किया जाए ताकि वह स्थानीय समुदायों के प्रति जवाबदेह हो अनेक चौतरफा स्वास्थ्य रक्षा सेवाओं तक मुफ्त तथा आसान पहुंच की गारंटी करे। सार्वभौम स्वास्थ्य रक्षा के प्रावधान के लिए, एक प्रधानत: सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली आधारित ढांचे को खड़ा किया जाए तथा सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया जाए। बदनाम 'बीमा मॉडल' पर आधारित, ''आयुष्मान भारत'' योजना के अंतर्गत, पीएमजेएवाइ को निरस्त किया जाए।
- स्वास्थ्य रक्षा सेवाओं के निजीकरण तथा पीपीपी के जरिए स्वास्थ्य रक्षा सेवाओं की आउटसोर्सिंग के रुझान को फौरन तथा प्रभावी तरीके से पलटा जाए।
- मजदूरों के स्वास्थ्य की कारगर तरीके से रक्षा करने के लिए, ईएसआइ योजना का विस्तार किया जाए तथा उसे नये सिरे से गढ़ा जाए।
- निजी स्वास्थ्य रक्षा क्षेत्र का, खासतौर पर कार्पोरेटों की मिल्कियत वाले अस्पताल क्षेत्र का, फौरी व कड़े कदमों के जरिए, नियमन किया जाए। इन्हें क्लीनिकन इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत लाया जाए। 2010 के नेशनल क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में सुधार किए जाएं ताकि मरीजों के अधिकारों का पालन सुनिश्चित किया जा सके। विभिन्न सेवाओं की दरों व गुणवत्ता का नियमन किया जाए।

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, संशोधित जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम के एकीकरण के जरिए, मानसिक रोगियों के लिए, सर्वसमावेशी उपचार तथा देख-भाल तक, अधिकार-आधारित पहुंच सुनिश्चित की जाए।
- सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं में, सभी दवाओं की, मुफ्त, अविराम आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। दवाओं के नुकसानदेह फार्मुलेशनों को चुन-चुनकर बाजार से बाहर किया जाए।
- कीमतों का लागत-आधारित फार्मूला अपनाकर, आवश्यक दावाओं की कीमतों पर नियंत्रण लगाया जाए। नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंसिशल मैडीसन्स (एनएलईएम)में आने वाली सभी दवाओं के मामले में लागत-एमआरपी अंतर न्यूनतम हो तथा सभी करों को हटाया जाए। दवाओं पर उत्पाद शुल्क के भारी बोझ में कमी करने के लिए फिर से, इस शुल्क को एमआरपी के आधार पर नहीं लगाकर, लागत के आधार पर लगाया जाए।
- महत्वपूर्ण क्षेत्रों में दवा बहुराष्ट्रीय निगमों की इजारेदारी को तोड़ने के लिए, कार्यक्रम शुरू किए जाएं।
- सार्वजनिक क्षेत्र की दवा इकाइयों को पुनर्जीवित किया जाए ताकि उनको आवश्यक दवाओं तथा टीकों के निर्माण में लगाया जा सके।
- चिकित्सकीय परीक्षणों पर कड़ाई से नियंत्रण तथा नियमन और अनैतिक चिकित्सकीय परीक्षणों पर रोक लगाना।
- अमरीकी ड्रग एन्फोर्समेंट एजेंसी, यूएसएफडीए के कार्यालयों तथा अफसरों को भारत से हटवाना।
- भारत के पेटेंट कानूनों की हिफाजत करना तथा यह सुनिश्चित करना कि उन्हें किसी तरह ढीला नहीं किया जाए।
- डाक्टरों व नर्सों के प्रशिक्षण के लिए सरकार द्वारा नये कालेजों की स्थापना के लिए प्राथमिकता सुनिश्चित करना। उत्तर-पूर्वी राज्यों तथा अपेक्षाकृत गरीब राज्यों जैसे चिकित्सा सुविधा दरिद्र इलाकों में इस तरह के कालेजों के लिए प्राथमिकता देकर सार्वजनिक फंडिंग मुहैया कराना। स्वास्थ्यकर्मियों के लिए प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना।

रोजगार गारंटी

- सभी शहरी इलाकों में रोजगार गारंटी के प्रावधान के लिए कानून बनाना।
- मनरेगा के तहत 200 दिन का काम सुनिश्चित करना। मनरेगा के तहत कराए जा सकने वाले कामों की सूची का विस्तार कर उसमें ग्रामीण इलाकों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने वाली सभी गतिविधियों को शामिल किया जाए।

- **श्रम सघन उद्योगों की रोजगार पैदा करने में मदद करने के लिए, विशेष पैकेज दिए जाएं।**
- **श्रम सघन प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहित करने वाली नीतियों के जरिए बेरोजगारी पर अंकुश लगाना। मालिकान को दी जाने वाली वित्तीय सहायता/ प्रोत्साहनों/ रियायतों को, संबंधित प्रतिष्ठानों में रोजगार निर्माण से जोड़ना।**
- **सरकारी विभागों में सभी खाली पदों को भरना। भर्ती पर लगी पाबंदी और सरकारी पदों के सालाना 3 फीसद परित्याग को हटाना। बैकलॉग के सभी पदों का भरा जाना सुनिश्चित करना।**

वरिष्ठ नागरिक और पेंशन

- वरिष्ठ नागरिकों को गरिमापूर्वक जीने में समर्थ बनाने के लिए फौरन एक सार्वजनिक धन से संचालित, सार्वभौम तथा गैर-अंशदान आधारित, वृद्धावस्था पेंशन व्यवस्था कायम करना। इसके तहत न्यूनतम पेंशन राशि न्यूनतम मजदूरी के कम से कम 50 फीसद या 6,000 रु0 प्रतिमाह में जो भी ज्यादा हो, उसके बराबर दी जाए। यह पेंशन भारत के हरेक नागरिक की व्यक्तिगत हकदारी के रूप में हो। इससे आयकर दाताओं को या अन्य स्रोतों से इससे ज्यादा पेंशन पा रहे लोगों को बाहर रखा जा सकता है।
- हर साल सालाना संशोधन के लिए, पेंशन को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के साथ जोड़ा जाए।
- वृद्धावस्था पेंशनों के लिए एकल खिड़की व्यवस्था स्थापित की जाए।
- सभी विधवाओं, अनाथों तथा विकलांग व्यक्तियों को, आय की किसी भी सीमा के बिना, इतना ही भत्ता मुहैया कराया जाए।
- शासन की सहायता से वृद्धावस्था आश्रमों/ डे केयर सेंटरों के ताने-बाने का निर्माण किया जाए।

पूर्व-सैनिक

- वन रैंक, वन पैंशन को पूरी तरह से लागू किया जाए।
- केंद्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों के सेवानिवृत्त जवानों, उनकी विधवाओं तथा आश्रितों का कल्याण सुनिश्चित किया जाए। उन्हें सशस्त्र बलों के समकक्ष माना जाए।
- सशस्त्र बलों के किसी पूर्व-अधिकारी की अध्यक्षता में, एक आयोग का गठन किया जाए जो पूर्व-सैनिकों की शिकायतों व समस्याओं का समाधान करे।

शहरी मुद्दे

भारत के शहरी इलाकों में गरीबों तथा मेहनतकशों की फैलती कतारों को देखते

हुए, सी पी आइ (एम) निम्नलिखित के प्रति वचनबद्ध है:

- स्पेशल पर्पज़ व्हीकल्स के गठन की अनिवार्यता के आदेश को निरस्त किया जाए। ये स्पेशल पर्पज़ व्हीकल्स शहरी प्रशासन के लिए निर्वाचित शहरी निकायों को बाइपास करते हैं। 74वें संविधान संशोधन को लागू किया जाए और समयबद्ध तरीके से शहरी स्थानीय निकायों के लिए शक्तियों तथा वित्त का वितरण सुनिश्चित किया जाए। शहरी नियोजन तथा बजटिंग की सभी प्रक्रियाओं में, अनिवार्य रूप से जनता की भागीदारी सुनिश्चत की जाए।
- एक नयी शहरी नीति का सूत्रीकरण जो समावेश तथा वहनीयता के दर्शन से निर्देशित होकर, 'स्मार्ट सिटीज' की अवधारणा की जगह पर, 'रहने लायक शहर' की अवधारणा को लाए। शहरी गरीब व मेहनतकश समुदायों के लिए उनके शहरों में स्पष्ट बैंच मार्क तथा मानक तय किए जाएं और जनता की मौजूदा बसाहटों तथा आजीविकाओं की हिफाजत की जाए। पूरे के पूरे मिशन को, जन परामर्शों तथा चर्चाओं के आधार पर, स्थानीय निर्वाचित निकायों के जरिए संचालित किया जाए।
- नियोजित शहरीकरण को आगे बढ़ाया जाए। शहरों में सार्वजनिक उपयोगिताओं व सुविधाओं में सार्वजनिक निवेश में बढ़ोतरी की जाए ताकि मेहनतकशों की पलायन के जरिए बढ़ती आवक को संभाला जा सके। मध्यम-स्तर के शहरों के विकास पर जोर ताकि इन मंझले शहरों की ओर कहीं ज्यादा रोजगारों को खींचा जा सके।
- जनता के पानी तथा आवास के अधिकार को पहचानना और शहरी गरीबों के लिए पीने का पानी, सेनिटेशन, बिजली, परिवहन, राशन की दूकानें, स्वास्थ्य सुविधाएं, स्कूल, सड़क-बत्ती आदि बुनियादी सुविधाएं, सस्ते दाम पर मुहैया कराना।
- सबसे कमजोर तथा निराश्रितों के लिए समुचित सुविधाओं से संपन्न रैन बसेरे, शरण-घर तथा सामुदायिक लंगर चलाना।
- शून्य बेदखली नीति के साथ, कच्ची बस्तियों के तोड़े जाने को रोकना। कच्ची बस्तियों का जहां के तहां, सुविधाओं के साथ विकास सुनिश्चित करना। यह सुनिश्चित करना कि कच्ची बस्ती के इलाके अचल संपत्ति डैवलपरों को नहीं सौंपे जाएं। कच्ची बस्तियों में रहने वालों के लिए बुनियादी सेवाओं का प्रावधान करना।
- मजदूरों को उखाड़ने तथा अपने कार्यस्थलों से बहुत दूर, शहर के बाहरी हिस्सों में धकेले जाने पर पूरी तरह से रोक लगाना।
- सभी नागरिक सुविधाओं के साथ आवास के सार्वजनिक प्रावधान का विस्तार। संपन्न वर्गों की मांग पूरी करने के लिए बेरोक-टोक अचल संपत्ति विकास अंकुश लगाना।
- आधुनिक, पहुंचनीय, समतापूर्ण तथा सस्ती सार्वजनिक परिवहन व मास ट्रांजिट प्रणालियां

सुनिश्चित करना। पदयात्रियों, साइकिल चलाने वालों तथा अन्य धीमी गति के वाहनों से चलने वालों के कहीं ज्यादा अधिकारों के साथ सड़कों व परिवहन का नियोजन। इन कदमों के जरिए वायु प्रदूषण तथा सड़कों के रुंधने पर अंकुश लगाना।

- रीसाइकिल होने या पुनरोपयोग में आने लायक कचरे के ठोस कचरा प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना। पीपीपी के बिना ही सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंटकर्मियों की सहकारिताओं के जरिए, नुकसानदेह इलैक्ट्रोनिक/ रासायनिक तथा जैव कचरे का निपटान।
- फेरी-पटरी दूकानदारों के लिए संरक्षण सुनिश्चित करना और उसके सकारात्मक योगदान को पहचानना। फेरी-पटरी वालों का रजिस्ट्रेशन करना तथा टाउन वेंडिंग कमेटियों का गठन।

पर्यावरण

- राज्य व केंद्र के स्तर पर पर्यावरण अनुमतियों की प्रणाली व प्रक्रियाओं को प्रभावी, समयबद्ध, पारदर्शी, जवाबदेह और स्वार्थों के टकराव से मुक्त बनाना।
- प्रभावी नियमन, उत्पादन तथा उपभोग के सभी क्षेत्रों में ऊर्जा कुशलता के जरिए, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कदम उठाना। सौर ऊर्जा तथा पवन ऊर्जा जैसी अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना। ऊर्जा असमानता को घटाना और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के लिए ऊर्जा पहुंच को बढ़ावा देना।
- राज्यों को मजबूत करना ताकि प्राकृतिक तथा पर्यावरण-संबद्ध आपदाओं से निपट सकें और कमजोर आबादियों की जरूरतें पूरी करते हुए, पर्यावरण सह्य विकास रणनीतियां अपना सकें तथा लागू कर सकें।
- प्रभावी नियमन के जरिए और विशेष रूप से केंद्रीय व राज्य स्तर के नियमनकारी प्राधिकारों को मजबूत कर प्रवर्तन के जरिए, नदियों व अन्य जल स्रोतों के प्रदूषण पर अंकुश लगाया जाए।
- नदी थालों में तथा फ्लड प्लेन्स में खराबे को और विनाशकारी विकास को रोका जाए।

जल संसाधन

- पानी को एक दुर्लभ सार्वजनिक वस्तु के रूप में देखते हुए, राष्ट्रीय जल नीति इस तरह से सूत्रबद्ध की जाए जिससे जल-प्रतिपूर्ति तथा जल संरक्षण बढ़े और इसके साथ ही साथ घरेलू उपयोग के लिए, सिंचाई के लिए तथा उद्योग के लिए पानी की उपलब्धता, कारगर नियमन तथा मांग प्रबंधन के जरिए बढ़े। सभी बसाहटों के लिए पीने के स्वच्छ पानी के समतापूर्ण प्रावधान को प्राथमिकता दी जाए।
- जल संसाधनों का कोई निजीकरण नहीं किया जाए और जल अधिकार को पहचाना जाए।

- कहीं प्रभावी नियमन, नियमनकारी निकायों को मजबूत करने तथा समुचित कानून बनाने के जरिए, भूजल स्तर में गिरावट से निपटा जाए।

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी

- विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में घरेलू शोध के लिए सार्वजनिक खर्च बढ़ाकर, जीडीपी के 2 फीसद के बराबर किया जाए। शोध व विकास में विश्वविद्यालय प्रणाली को मजबूत किया जाए। विभिन्न विज्ञानों में बुनियादी शोध को प्राथमिकता दी जाए।
- वैज्ञानिक मिजाज़ तथा तार्किक सोच को बढ़ावा देने के लिए, जैसाकि हमारे संविधान का निर्देश है, अभियान चलाया जाए।
- कृषि शोध पर ध्यान केंद्रित किया जाए ताकि बीज के मामले में मोनसेंटो जैसी कंपनियों की इजारेदारियों को तोड़ा जा सके।
- फ्री सॉफ्टवेयर तथा अन्य ऐसी ही प्रौद्योगिकियों को आगे बढ़ाना, जो कॉपीराइट्स या पेटेंट के जरिए, इजारेदाराना स्वामित्व से मुक्त हैं। जैव-प्रौद्योगिकी तथा दवाओं की खोज जैसे विभिन्न अनुशासनों में, 'ज्ञान शामलात' को बढ़ावा दिया जाए।
- डिजिटल बुनियादी ढांचे को, एक सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के रूप में पहचाना जाए, जिसका उपयोग सर्वजन हित में होना चाहिए।

निगरानी और निजता के मुद्दे

- धारा-69 के तहत सरकारी एजेंसियों द्वारा थोक में निगरानी किए जाने को रोका जाए। नागरिकों की निजता का उल्लंघन करने वाली किसी भी निगरानी के लिए स्पष्ट प्रावधान किए जाने चाहिए और उस पर न्यायिक नजर रहनी चाहिए।
- ऐसे डॉटा प्राइवेसी कानून बनाए जाएं, जो लोगों के निजी डॉटा के व्यापारिक इस्तेमाल के लिए हड़पे जाने या दुरुपयोग से, लोगों की हिफाजत करें।
- दूरसंचार का सहारे लेने वाली जियो/एअरटेल/ वोडोफोन जैसी या इंटरनैट सेवा प्लेटफार्मों का इस्तेमाल करने वाली गूगल, फेसबुक आदि जैसी, इजारेदारियों पर अंकुश लगाया जाए।

संस्कृति और मीडिया

- संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी भाषाओं को समान रूप से प्रोत्साहन दिया जाए तथा विकसित किया जाए।
- धर्मनिरपेक्ष, प्रगतिशील तथा जनतांत्रिक संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए। सांस्कृतिक हस्तियों पर तथा कृतियों पर, सांप्रदायिक ताकतों के हमलों से मजबूती से निपटा जाए।

- हिंसा के महिमामंडन और महिलाओं व सैक्स को माल की तरह देखने पर, अंकुश लगाया जाए।
- प्रसार भारती निगम को मजबूत किया जाए ताकि उसे टेलीविजन व रेडियो के लिए एक सच्ची सार्वजनिक प्रसारण सेवा बनाया जा सके। सार्वजनिक प्रसारण सेवा द्वारा प्रसारित कार्यक्रमों के मामले में राज्यों को दखल हासिल होना चाहिए।
- इजारेदारियों को रोकने के लिए, मीडिया के अलग-अलग रूपों पर स्वामित्व पर रोक लगायी जानी चाहिए। छापे के मीडिया तथा इलैक्ट्रोनिक मीडिया में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की इजाजत को पलटा जाए।
- एक मीडिया परिषद का गठन किया जाए जो मीडिया के लिए एक स्वतंत्र नियमनकारी प्राधिकार के रूप में काम कर सके।
- इंटरनैट के प्रशासन को अमरीका के नियंत्रण से निकालकर, एक उपयुक्त अंतर्राष्ट्रीय निकाय के हाथों में सौंपना। ऐसे जन-केंद्रित इंटरनैट को बढ़ावा देना, जिसमें सामाजिक न्याय सन्निहित हो और जो वैश्विक कार्पोरेशनों के नियंत्रण से मुक्त हो। एक ऐसी वैश्विक इंटरनैट व्यवस्था को आगे बढ़ाना जो निजता के अधिकार की रक्षा करे और सरकारों द्वारा थोक के हिसाब से निगरानी की भी इजाजत नहीं दे।
- फेक न्यूज के फैलने पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाए जाएं और फेक न्यूज को बढ़ावा देने वाले ग्रुपों व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।
- मीडिया की स्वतंत्रता की रक्षा करने और पत्रकारों पर हमले रोकने के लिए, कदम उठाए जाएं।
- स्वतंत्र मीडिया के लिए विभिन्न रूपों में सार्वजनिक सहायता दी जाए।
- वर्किंग जर्नस्ट्सि कानून में संशोधन कर, तमाम मीडिया संगठनों में काम कर रहे पत्रकारों तथा कर्मचारियों को इसके दायरे में लाया जाए, ताकि उनके लिए समुचित वेतन तथा रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित हो सकें। छापे के, इलैक्ट्रोनिक तथा डिजिटल मीडिया के पत्रकारों के लिए नया वेज बोर्ड गठित किया जाए, ताकि मीडिया संगठनों में वेतनों में सुधार किया जा सके।

संस्थागत सुधारों के लिए

सी पी आइ (एम) निम्नलिखित के हक में है:

- व्यक्ति के अधिकारों व स्वतंत्रताओं की हिफाजत करना और ऐसे सभी प्रावधानों की समीक्षा तथा उनमें सुधार करना, जो बोलने की स्वतंत्रता पर, अभिव्यक्ति पर और व्यक्तिगत अधिकारों पर, अनुचित बंधन लगाते हैं।

- वैधानिक, संवैधानिक तथा नियमनकारी निकायों की स्वतंत्रता की हिफाजत करना। इसके लिए सीवीसी, सीबीआइ, ईसीआइ, राष्ट्रीय/ राज्य मानवाधिकार आयोग, लोकपाल, लोकायुक्त, महिला आयोग, अनुसूचित जाति/ जनजाति आयोग, आदि देख-रेख करने वाले, नियमनकारी तथा न्यायिक-निर्णयकारी निकायों के लिए नियुक्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। हर प्रकार के भ्रष्टाचार और खासतौर पर उच्च पदों पर व्याप्त भ्रष्टाचार को रोकने तथा उस पर नियंत्रण कायम करने के लिए कदम उठाए जाएं। कारगर तरीके से शिकायतों को दूर किया जाए, भीतर से भंडाफोड़ करने वालों को संरक्षण दिया जाए। न्याय तक पहुंच को त्वरित तथा लोगों के बूते की चीज बनाया जाए। चुनाव प्रणाली में सुधार किए जाएं।

भ्रष्टाचार से संघर्ष और जवाबदेही बढ़ाना

- भ्रष्टाचार निरोधक कानून तथा लोकपाल कानून में संशोधन कर तथा उन्हें मजबूत कर, उनके विचार क्षेत्र को बढ़ाना और सरकार तथा निजी क्षेत्र के बीच सभी ठेकों, समझौतों या एमओयू को इसके विचार क्षेत्र में लाना।
- नियमनकर्ताओं तथा जांच एजेंसियों को अधिकारसंपन्न बनाना ताकि कार्पोरेट अपराधों की पूरी तरह से जांच कर सकें।
- वित्तीय क्षेत्र की निजी संस्थाओं को तथा खासतौर पर बैंकिंग व बीमा क्षेत्र की ऐसी सभी संस्थाओं को और तमाम सार्वजनिक-निजी साझीदारी परियोजनाओं को लोकपाल कानून, व्हिसिल ब्लोअर्स संरक्षण कानून तथा अन्य प्रासंगिक भ्रष्टाचारविरोधी कानूनों के दायरे में लाया जाए।
- आरटीआइ का उपयोग करने वालों तथा भ्रष्टाचारविरोधी जेहाद चलाने वालों को संरक्षण मुहैया कराने के लिए, कारगर तंत्र कायम किए जाएं और एक कारगर भंडाफोड़कर्ता संरक्षण विधेयक पारित किया जाए।
- सूचना अधिकार कानून को मजबूत किया जाए और नागरिकों के लिए शासन में निर्णय प्रक्रिया के सभी पहलुओं में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित किया जाए। आरटीआइ कानून की धारा-4 को लागू करना ताकि कानून पारित होने से पहले, एक पारदर्शी तथा भागीदारीपूर्ण विधायी-पूर्व प्रक्रिया के जरिए, नागरिकों की राय ली जाए।
- सरकारी गोपनीयता कानून (ओएसए) का दुरुपयोग बंद किया जाए और इसमें उपयुक्त तरीके से सुधार किया जाए।

न्यायिक सुधार

- एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय के रूप में राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन किया जाए।

न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका तथा बार के प्रतिनिधियों से गठित यह निकाय नियुक्तियों व तबादलों के निर्णय करे और न्यायाधीशों के अकरणीय करने/ करणीय न करने के मामलों की जांच करे और न्यायिक जवाबदेही सुनिश्चित करे।

- न्यायिक व्यवस्था में सुधार ताकि आम आदमी को वहनीय दाम पर, तेजी से राहत मिल सके। न्यायपालिका में खाली पड़ी जगहें भरी जाएं।
- आपराधिक अवमानना की परिभाषा में समुचित संशोधन किए जाएं ताकि असहमति की आवाजों को दबाने के लिए उसके दुरुपयोग को रोका जा सके।
- न्यायाधीशों द्वारा अपनी संपत्तियों की सार्वजनिक घोषणा को अनिवार्य किया जाए।
- सभी स्तरों पर न्यायपालिका में पर्याप्त प्रतिनिधित्व तथा विविधता को सुनिचित किया जाए।

चुनाव आयोग में सुधार

- चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक कमेटी की सलाह पर की जाए। इस कमेटी में प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को रखा जाए।
- चुनाव आयुक्तों के सेवानिवृत्ति के बाद, सरकार के आधीन कोई पद स्वीकार करने या राज्यपाल का पद या किसी विधायी निकाय की सदस्यता स्वीकार करने पर कानूनन रोक लगायी जाए।
- जन प्रतिनिधित्व कानून में संशोधन कर, चुनाव प्रेक्षकों का अधिकार क्षेत्र स्पष्ट किया जाए।

चुनाव सुधार

- आंशिक सूची प्रणाली के साथ, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कायम की जाए।
- चुनावी बांड व्यवस्था को निरस्त किया जाए।
- मान्यताप्राप्त राजनीतिक पार्टियों के लिए सामग्री के रूप में सरकारी चुनाव फंडिंग की व्यवस्था की जाए। राजनीतिक पार्टियों के लिए कापोरेट फंडिंग पर रोक लगायी जाए।
- इलैक्ट्रोनिक मतदान मशीनों के उपयोग संबंधी नियमों में समुचित संशोधन कर, जनतंत्र में विश्वास बहाल होना सुनिश्चित किया जाए। नतीजे की घोषणा करने से पहले, 50 फीसद तक ईवीएम मशीनों के वोट की गिनती का, वीवीपीएटी की स्लिपों से मिलान किया जाए।
- राजनीतिक पार्टियों के चुनाव खर्चों पर, उम्मीदवारों के खर्चों की तरह ही एक अधिकतम सीमा लगायी जाए। चुनावी खर्च के मामले में पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।